



HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
 Gauradevi Paryavaran Bhawan
 46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,
 Dehradun (Uttarakhand)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Factual and Action Taken Report in compliance of order dated 27.05.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in the matter of Original Application No. 396 of 2022 titled as "Gopal Chanra Vanwassi Versus SDM, Ramnagar".

INDEX

Sr. No.	Description of Documents	Page No(s)
1	Factual and Action Taken Report	1 - 4
2	ANNEXURE-1: Copy of Joint Inspection Report with Annexure-1 to 122.	5 - 226
3	ANNEXURE-2: Copies of of Show Cause notices issued on 27.08.2022.	226 - 240
4.	ANNEXURE-3: Copis of letter issued by Regional Office on dated 06.08.2022	241 - 248

Date: September 12, 2022

Place: Dehradun

Factual and Action Taken Report
In the matter of
Original Application No. 396 of 2022

In the matter of:

Gopal Chandra Vanwassi Applicant

Versus

SDM, Ramnagar Respondent

1. BACK GOROUND

That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 396 of 2022 titled as "Gopal Chandra Vanwassi Versus SDM, Ramnagar" issued *inter alia* following directions on 27.05.2022:

"1.....XXX.....XXX.....XXX

2. *The factual averments made in the application require due verification and immediate remedial action by the concerned authorities. Accordingly, we constitute a Joint Committee of State PCB and District Magistrate, Nainital, and direct the Joint Committee to meet within four weeks, undertake site visits to all 16 Stone Crushers, look into the grievances of the applicant and take remedial action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and Action Taken Report may cover all relevant aspects including siting criteria, compliance with consent conditions, installation and functioning of pollution control measures. Factual and Action Taken Report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*

XXX.....XXX.....



In compliance of order passed by the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi on dated 27.05.2022, inspection of the area in question was carried out by the officials of Joint Team on dated 21.06.2022 & 22.06.2022. Following officials were part of Joint inspection:

- i) Shri Gaurav Chatwal, Sub-District Magistrate, Ramnagar, Distt. Nainital.
- ii) Shri Rajpal Legha, Additional Director, Geology & Mining Unit, Directorate of Industries, Uttarakhand.
- iii) Dr. D.K. Joshi, Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Haldwani, Distt. Nainital.
- iv) Shri Vipin Chandra Pant, Tehsildar, Ramnagar, Distt. Nainital.
- v) Shri Harish Chandra Joshi, Assistant Scientific Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Haldwani, Distt. Nainital.

3. FACTUAL REPORT

Observations of the Joint Committee is annexed as **ANNEXURE-1**.

As per report of the Joint Committee:

1. Out of 16 stone crusher, 7 Stone Crusher/Screening Plants namely i) M/S Ashok Stone Crusher, Village Chorpani, Tehsil Ramnagar, Distt. Nainital, ii) M/S Pannu Stone Crusher, Village Sobanpur, Tehsil Ramnagar, Distt. Nainital, iii) M/S Badesha Stone Crusher, Village Jeevanandpur, Peerumadara, Tehsil Ramnagar, Distt. Nainital, iv) M/S Guru Har Rai Stone Crusher, Village Sobanpur, Tehsil Ramnagar, District Nainital, v) M/S Mahabali Stone Crusher, Village Papadi, Peerumadara, Tehsil



Ramnagar, District Nainital, vi) M/S New Ramnagar Stone Crusher, Village Shivalpur Pandey, Railway Board, Tehsil Ramnagar, Distt. Nainital, and vii) M/S A.B. Construction (Screening Plant), Village Udaypuri Bandobasti, Tehsil Ramnagar, Distt. Nainital are found to be non-complying.

2. 8 - Stone crusher/screening plants have obtained anugya (permission) from the State Government but yet to fully establish and to start operation.
3. 1 Stone crusher i.e. M/S Teg Prakash Stone Crusher has yet to obtain anugya (permission) from the State Government and is not established or in operation.

4. CONCLUSION

1. Based on the report of Joint Committee, 7-stone crusher/screening plants who were non-complying, but are in operation, have been given show cause notice for closure along with imposition of environmental compensation under section-31(a) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 vide letter dated 27.08.2022. Copies of show cause notices are enclosed as **ANNEXURE-2**.
2. Regional Officer, Haldwani has directed to all 8 stone crusher/screening plants, not to establish without consent to establish from the State Board. Copies of notices are enclosed as **ANNEXURE-3**.



संयुक्त निरीक्षण आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 296/2022 गोपाल चन्द्र बनवासी बनाम एस0डी0एम0 रामनगर में पारित आदेश दिनांक 27.05.2022 के अनुपालन में संयुक्त जाच आख्या।

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी/एच0ओ0/सा0-183-569/2022/338 दिनांक 06.08.2022 तथा जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पत्र संख्या 107/30-जी0सी0/2022-2023 दिनांक 17 जून 2022 के अनुपालन में निम्न लिखित स्टोन केशरों का दिनांक 21.06.2022 व 22.06.2022 को स्थलीय संयुक्त निरीक्षण किया है।

1. मै0 अशोका स्टोन केशर- ग्राम- चोरपानी तहसील-रामनगर।
2. मै0 पन्नू स्टोन केशर- ग्राम- सोबनपुर तहसील-रामनगर।
3. मै0 बदेशा स्टोन केशर- ग्राम-जीवानंद पुर पीरूमदारा
4. मै0 गुरु हर राय स्टोन केशर- ग्राम- सोबनपुर तहसील-रामनगर।
5. मै0 विजय कुमार निदेशक महाबली केशर प्रा0लि0- ग्राम- पापड़ी तहसील-रामनगर।
6. मै0 न्यू रामनगर स्टोन केशर- रेलवे स्टेशन रामनगर।
7. मै0 ए0बी0नेचुरल- ग्राम-उदयपुरी बंदोबस्ती तहसील रामनगर।
8. मै0 तेग प्रकाश स्टोन केशर- ग्राम- सोबनपुर तहसील-रामनगर।
9. मै0 तेग बहादुर स्टोन केशर- ग्राम- कन्दला तहसील-रामनगर।
10. मै0 कटारिया स्टोन केशर- ग्राम- पापड़ी तहसील-रामनगर।
11. मै0 पीरूमदारा स्टोन केशर- ग्राम-पापड़ी तहसील-रामनगर।
12. मै0 केसरी नंदन मिनरल्स- ग्राम- उदयपुरी बंदोबस्ती तहसील-रामनगर।
13. मै0 गुरुनानक स्टोन इंडस्ट्रीज- ग्राम- पापड़ी तहसील-रामनगर।
14. मै0 एक ओंकार स्टोन इंडस्ट्रीज- ग्राम- वीरपुर तहसील-रामनगर।
15. मै0 रिद्धि शिधि स्टोन केशर- ग्राम- उदयपुरी बंदोबस्ती तहसील-रामनगर।
16. मै0 बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज- उदयपुरी बंदोबस्ती तहसील-रामनगर।

उपरोक्त स्टोन केशरों के सन्दर्भ में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का प्रभावी अंश निम्नवत है।

The factual averments made in the application require due verification and immediate remedial action by the concerned authorities. Accordingly, we constitute a Joint Committee to meet within four weeks, undertake site visits to all 16 Stone Crushers, look into the grievances of the applicant and take remedial action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and Action Taken Report may cover all relevant aspects including sitting criteria, compliance with consent conditions, installation and functioning of pollution control measures. Factual and Action Taken Report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 17.08.2022

मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-01)

उक्त पारित आदेशों के आलेखों में उपरोक्त सन्दर्भित स्टोन केशरों का संयुक्त निरीक्षण/वायु गुणवत्ता अनुश्रवण दिनांक 21 तथा 22 जून 2022 को निम्न लिखित अधिकारियों की टीम द्वारा किया गया।

1. श्री गौरव चटवाल उपजिलाधिकारी, रामनगर।
2. श्री राजपाल लेघा अपर निदेशक खनन भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, हल्द्वानी जनपद-नैनीताल।
3. डा० डी०के० जोशी क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी।
4. श्री हरीश चन्द्र जोशी सहा० वैज्ञानिक अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी।
5. श्री विपिन चन्द्र पंत तहसीलदार रामनगर।

इस के अतिरिक्त निम्न कार्मिकों द्वारा भी संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया।

1. श्री तारा दत्त घिल्डियाल, राजस्व निरीक्षक रामनगर।
2. श्री ऐश्वर्य साह, सर्वेक्षक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, हल्द्वानी जनपद-नैनीताल।
3. श्री आयुष नेगी वैज्ञानिक सहायक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी।
4. श्री चन्द्रबल्लम जोशी अनुश्रवण सहायक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी।
5. श्री प्रवीण आर्या अनुश्रवण सहायक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी।
6. श्री रवीन्द्र जडौत अनुश्रवण सहायक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी।

स्टोन केशरों का मुख्य विवरण और अवलोकन:-

1. मै० अशोक स्टोन केशर ग्राम- चोरपानी तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल।

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

- 1.1 अशोक स्टोन केशर ग्राम- चोरपानी तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.812 है० भूमि पर स्थित है। निरीक्षण के समय स्टोन केशर संचालन में था।



Fig. (01) Location of the M/s Ashok Stone Crusher Unit (Source: Google Earth)

- 1.2 स्टोन केशर की स्थापना वर्ष 1986 है। जिस हेतु इकाई को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या G-873/NOC-398/86-4 दिनांक 05 अगस्त 1986 द्वारा 100 टन प्रतिदिन क्षमता के स्टोन केशर संचालन हेतु सहमति प्राप्त थी। (संलग्नक-02)

श्री

③

श्री

श्री

श्री

1.3 स्टोन केशर को निदेशक भूत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय, देहरादून उत्तराखण्ड के पत्रांक 2266/स्टो0कै0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/पि0/ 2021-22 दिनांक 30.09.2021 के द्वारा स्टोन केशर की अनुज्ञा मय भण्डारण सहित दिनांक 19 नवम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिये सशर्त नवीनीकरण किया गया है। (संलग्नक-03)

साईट की उपयुक्तता:-

1.4 स्टोन केशर उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लांट, प्लवराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञानीति-2021 स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है:-

उत्तराखण्ड स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लांट, प्लवराईजर प्लांट, हॉटमिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति 2021 के बिन्दु 16-(4) में पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन केशर/ स्कीनिंग प्लांट को इस नीति में उल्लिखित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानको को छोड़कर अन्य मानको को प्रत्येक दशा में छः माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा का प्राविधान निहित है। उक्त स्टोन केशर पूर्व से स्थापित एवं संचालित है। जिस कारण इस नीति में उल्लिखित दूरी के मानक लागू नहीं होते हैं। (संलग्नक-04)

1.5 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के व उत्तराखण्ड स्टोन केशर /स्कीनिंग प्लांट नीति-2021 के अन्तर्गत स्टोन केशर हेतु निर्धारित मानकों व निरीक्षण के दौरान सहमति शर्तों के अनुपालन व प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के संचालन के अनुपालन की स्थिति निम्नवत है।

- स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट में धूल जनित बिन्दुओं में फब्वारों की स्थापना की गयी है। निरीक्षण के समय फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा फब्वारों में आवश्यकतानुसार जल दाब पाया गया व फब्वारों संचालित थे। (संलग्नक-05)
- स्टोन केशर द्वारा लगभग 10-12 फिट ऊँची विन्ड ब्रेकिंग वाल की स्थापना की गई है। (संलग्नक-06)
- इकाई परिसर में पक्के मार्गों का निर्माण किया गया है। (संलग्नक-07)
- स्टोन केशर के परिसर में धूल कणों के नियंत्रण हेतु पाईप लाईन व Water Sprinkler के माध्यम से पानी का छिड़काव की व्यवस्था है। (संलग्नक-08)
- स्टोन केशर के चारों ओर एक कतार में हरित पट्टिका विकसित की गई है। (संलग्नक-09)
- निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण किया गया, जिसमें एस0पी0एम0 की मात्रा 519.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है। एस0पी0एम0 बोर्ड मानको के अनुरूप है। (संलग्नक-10)

1.6 स्टोन केशर को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति उत्पादन क्षमता 30,000 MT/Month 31.03.2027 तक प्राप्त है। (संलग्नक-11)

1.7 इकाई द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्टोन केशर नीति-2021 के अनुपालन में Ducting and Scrubbing System स्थापित किया गया है, जोकि निरीक्षण के समय संचालन में था। (संलग्नक-12)

1.8 स्टोन केशर द्वारा राज्य स्टोन केशर नीति-2021 के अनुसार तीन कतारों में हरित पट्टिका की स्थापना नहीं की गयी है।

1.9 स्टोन केशर द्वारा सहमति शर्त के अनुसार उत्पादन तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के साथ इन्टरलॉकिंग नहीं किया गया है।

1.10 स्टोन केशर में जल का उपयोग फब्वारें तथा जल छिड़काव हेतु किया जाता है। इकाई द्वारा भू-जल का उपयोग नहीं किया जाता जल आपूर्ति सिचाई विभाग की गूल द्वारा की जाती है। इकाई को सिचाई विभाग द्वारा अनापत्ति प्राप्त है। (संलग्नक-13)

1.11 स्टोन केशर प्लांट में जॉ केशर, वाईब्रेटिंग स्कीन, कोन केशर में धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये टिन सेड की व्यवस्था की गयी है। कन्वेयर बैल्ट को टिन द्वारा कवर किया गया है। (संलग्नक-14)

1.12 इकाई में डी0जी0 सेट स्थापित नहीं है।

AI
①

→

9

Handwritten signature

2. मै0 पन्नू स्टोन केशर ग्राम- सोबनपुर तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल।

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

- 2.1 मै0 पन्नू स्टोन केशर ग्राम-सोबनपुर तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 6.806 है0 भूमि पर स्थापित है। निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर संचालन में था।




Fig. (02) Location of the M/s Pannu Stone Crusher Unit (Source: Google Earth)

- 2.2 इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा स्थापनार्थ सहमति कार्यालय के पत्रांक संख्या-यूईपीपीसीबी/एचओ/एनओसी- 7168/2019/1545 दिनांक 19.12.2020 के द्वारा प्राप्त है। (संलग्नक-15)
- 2.3 उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1044/VII-1/2018/8-स्टोन केशर/17 दिनांक 28.02.2018 के द्वारा अनुज्ञा नीति-2016 के अन्तर्गत 100 टन प्रति घण्टा क्षमता के स्टोन केशर स्थापना संचालन अनुमति 05 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान की गई है। (संलग्नक-16)
- 2.4 कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 1113/30 जी0सी0/2018-19 दिनांक 27 जून 2018 द्वारा ग्राम-सोबनपुर तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल, क्षेत्रान्तर्गत उपखनिज भण्डारण की अनुमति 27 फरवरी 2023 तक प्राप्त है। (संलग्नक-17)
- 2.5 स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, प्लवराईजर प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, अनुज्ञा नीति-2015 के द्वारा स्टोन केशर की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है:-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

क्र० सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी
1	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर से अधिक
2	(क) नदी के किनारे से दूरी	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
	(ख) बरसाती नदी, नाला, गदरा के किनारे से	50 मीटर	50 मीटर से अधिक
3	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
4	स्कूल शैक्षणिक संस्थान अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
5	आवासीय भवन का एक परिवार का एक मकान/ एक से अधिक परिवार का मकान	300 मीटर	300 मीटर से अधिक

2.6 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के व उत्तराखण्ड स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट नीति-2021 के अन्तर्गत स्टोन केशर हेतु निर्धारित मानकों व निरीक्षण के दौरान सहमति शर्तों के अनुपालन व प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के संचालन के अनुपालन की स्थिति निम्नवत है।

- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट में धूल जनित बिन्दुओं में फब्वारों की स्थापना की गयी है। निरीक्षण के समय फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा फब्वारों में आवश्यकतानुसार जल दाब पाया गया व फब्वारों संचालित थे। (संलग्नक-18)
 - स्टोन केशर द्वारा 14-15 फिट ऊँची विन्ड ब्रेकिंग वाल की स्थापना की गई है। (संलग्नक-19)
 - स्टोन केशर के परिसर में **Metallic Road** का निर्माण किया गया है। (संलग्नक-20)
 - स्टोन केशर के परिसर में धूल कणों के नियंत्रण हेतु वाटर टैंकर व **Water Sprinkler** के माध्यम से पानी का छिड़काव की व्यवस्था है। निरीक्षण के दौरान परिसर में जल छिड़काव हो रहा था। (संलग्नक-21)
 - स्टोन केशर में जल का उपयोग स्क्रीनिंग प्लांट, स्प्रिकलर व जल छिड़काव में किया जाता है। इकाई द्वारा टयूबवेल के माध्यम से पानी के आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। निरीक्षण के दौरान इकाई में **Water Intake Point** पर **Tamper Proof** इलैक्ट्रॉनिक मीटर स्थापित पाया गया तथा केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्लूए) से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। पानी की खपत के निर्धारण हेतु लॉगबुक की व्यवस्था नहीं है। (संलग्नक-22)
 - स्क्रीनिंग प्लांट से उत्पन्न जल के पुनः प्रयोग हेतु पृथक से पक्का सैटलिंग टैंक का निर्माण किया गया है तथा प्रक्रिया से जनित जल का पुनः धुलाई में उपयोग किया जाता है एवं जनित मिट्टी का निस्तारण परिसर में खाली भूमि में किया जाता है। (संलग्नक-23)
 - स्टोन केशर के चारों ओर एक कतार में हरित पट्टिका विकसित की गई है। (संलग्नक-24)
 - निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण किया गया, जिसमें एस0पी0एम0 की मात्रा 533.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है। एस0पी0एम0 बोर्ड मानकों के अनुरूप है। (संलग्नक-25)
- 2.7 स्टोन केशर को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति उत्पादन क्षमता 1,50,000 MT/Month के साथ 31.03.2026 तक प्राप्त है। (संलग्नक-26)
- 2.8 इकाई द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्टोन केशर नीति-2021 के अनुपालन में **Ducting and Scrubbing System** स्थापित किया गया है, जोकि निरीक्षण के समय संचालन में था। (संलग्नक-27)

शुभ

शुभ

शुभ

शुभ

- 2.9 स्टोन केशर द्वारा राज्य स्टोन केशर नीति-2021 के अनुसार तीन कतारों में हरित पट्टिका की स्थापना नहीं की गयी है।
- 2.10 स्टोन केशर के निरीक्षण के दौरान उपखनिज भण्डारण चार दिवारी से उपर पाया गया है। जिस पर स्टोन केशर नीति-2021 में दिये गये प्राविधानोंनुसार अर्थ दण्ड रू0 दो लाख अधिरोपित कर चालान के माध्यम से जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-28)
- 2.11 स्टोन केशर द्वारा सहमति शर्त के अनुसार उत्पादन तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के साथ इन्टरलॉकिंग नहीं किया गया है।
- 2.12 स्टोन केशर प्लांट में जॉ केशर, वाईब्रेटिंग स्क्रीन, कोन केशर में धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये टिन सेड की व्यवस्था की गयी है। कन्वेयर बैल्ट को टिन द्वारा कवर किया गया है। (संलग्नक-29)
- 2.13 इकाई में 62.5 के0वी0ए0 क्षमता का एक डी0जी0 सेट स्थापित है तथा डी0जी0 सेट के स्टैंक की ऊचाई मानको के अनुरूप नहीं है।

3. मै0 बदेशा स्टोन केशर ग्राम- जीवानंद पुर पीरूमदारा तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल।

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

- 3.1 मै0 बदेशा स्टोन केशर ग्राम-जीवानंदपुर पो0 पीरूमदारा तहसील-रामनगर जिला-नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत खाता संख्या-01, 02 रकवा 0.794 है0 खाता संख्या-03 रकवा 1.613 है0, खाता संख्या-06 रकवा 0.793 है0, खाता संख्या-08 रकवा 3.174 है0, खाता संख्या-09 रकवा 1.613 है0, खाता संख्या-10, 11 रकवा 4.314 है0, खाता संख्या-14 रकवा 3.006 है0 कुल रकवा 15.307 है0 भूमि पर स्थापित है। निरीक्षण के समय उक्त स्टोन केशर संचालन में पाया गया।



Fig. (03) Location of the M/s Badesha Stone Crusher Unit (Source: Google Earth)

- 3.2 स्टोन केशर की स्थापना वर्ष 1997 है। जिस हेतु इकाई को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या GO-6026/C-1/NOC दिनांक 05.10.1997 के द्वारा मै0 बदेशा स्टोन केशर ग्राम-जीवानन्दपुर, पो0 पीरूमदारा, रामनगर, जनपद- नैनीताल में स्टोन केशर की स्थापनार्थ सहमति प्राप्त थी। (संलग्नक-30)
- 3.3 इकाई को कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल, के पत्र संख्या- 237/30जी0सी0/2016-17 दिनांक 15.09.2016 के द्वारा ग्राम-जीवानन्दपुर तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल, में स्थापित स्टोन केशर अनुज्ञा नवीनीकरण अनुमति 05 वर्ष हेतु दी गयी थी। (संलग्नक-31)

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

साईट की उपयुक्तता:-

- 3.4 स्टोन केशर को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक 1698 (1)/VII-1/34 स्टोन केशर/2016 दिनांक 31.03.2017 के द्वारा 100 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन केशर की स्थापना/संचालन हेतु 05 की अवधि के लिये अनुमति प्रदान की गयी थी। कार्यालय निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय, देहरादून उत्तराखण्ड के पत्रांक 2065/स्टो0के0नवी0/खनन /भू0खनि0ई0/नैनी0/2021-22 दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन केशर की अनुज्ञा मय भण्डारण सहित दिनांक 15.09.2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिये सशर्त नवीनीकरण किया गया है। (संलग्नक-32)
- 3.5 स्टोन केशर उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, प्लव राईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञानीति-2021 स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है:-
उत्तराखण्ड स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, प्लवराईजर प्लांट, हॉटमिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति 2021 के बिन्दु 16-(4) में पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन केशर/ स्क्रीनिंग प्लांट को इस नीति में उल्लिखित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानको को छोड़कर अन्य मानको को प्रत्येक दशा में छः माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा का प्राविधान निहित है। उक्त स्टोन केशर पूर्व से स्थापित एवं संचालित है। जिस कारण इस नीति में उल्लिखित दूरी के मानक लागू नहीं होते है। (संलग्नक-04 अनुसार।)
- 3.6 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के व उत्तराखण्ड स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट नीति-2021 के अन्तर्गत स्टोन केशर हेतु निर्धारित मानकों व निरीक्षण के दौरान सहमति शर्तों के अनुपालन व प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के संचालन के अनुपालन की स्थिति निम्नवत है।
- a) स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट में धूल जनित बिन्दुओं में फब्यारों की स्थापना की गयी है। निरीक्षण के समय फब्यारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा फब्यारों में आवश्यकतानुसार जल दाब पाया गया व फब्यारें संचालित थे। (संलग्नक-33)
- b) स्टोन केशर द्वारा लगभग 15 फिट ऊँची विन्ड ब्रेकिंग वाल की स्थापना की गई है। (संलग्नक-34)
- c) स्टोन केशर के परिसर में Metallic Road का निर्माण किया गया है। (संलग्नक-35)
- d) स्टोन केशर के परिसर में धूल कणों के नियंत्रण हेतु वाटर टैंकर व Water Sprinkler के माध्यम से पानी का छिड़काव की व्यवस्था है। (संलग्नक-36)
- e) स्टोन केशर में जल का उपयोग स्क्रीनिंग प्लांट, स्पीकलर व जल छिड़काव में किया जाता है। इकाई द्वारा टयूबवेल के माध्यम से पानी के आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। निरीक्षण के दौरान इकाई में Water Intake Point पर Tamper Proof इलैक्ट्रानिक मीटर स्थापित पाया गया तथा केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्लूए) से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। पानी की खपत के निर्धारण हेतु लॉगबुक की व्यवस्था नहीं है। (संलग्नक-37)
- f) स्क्रीनिंग प्लांट से उत्पन्न जल के पुनः प्रयोग हेतु पृथक से पक्का सैटलिंग टैंक का निर्माण किया गया है तथा प्रक्रिया से जनित जल का पुनः धुलाई में उपयोग किया जाता है एवं जनित मिट्टी का निस्तारण परिसर में खाली भूमि में किया जाता है। (संलग्नक-38)
- g) स्टोन केशर के तीनों ओर तीन कतार में हरित पट्टिका विकसित की गई है। जिसकी चौड़ाई लगभग 10 फीट है। दक्षिण दिशा में एक कतार में हरित पट्टिका विकसित है। जो अनुज्ञा नीति-2021 में निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं है। (संलग्नक-39)
- h) निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण किया गया, जिसमें एस0पी0एम0 की मात्रा 569.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है। एस0पी0एम0 बोर्ड मानको के अनुरूप है। (संलग्नक-40)
- 3.7 स्टोन केशर को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति उत्पादन क्षमता 81,000 MT/Month के साथ 31.03.2031 तक निर्गत की गई है। (संलग्नक-41)
- 3.8 इकाई द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्टोन केशर नीति-2021 के अनुपालन में Ducting and Scrubbing System स्थापित किया गया है, जोकि निरीक्षण के समय संचालन में था। (संलग्नक-42)



- 3.9 स्टोन केशर द्वारा राज्य स्टोन केशर नीति-2021 के अनुसार दक्षिण दिशा में तीन कतारों में हरित पट्टिका विकसित नहीं की गयी है।
- 3.10 स्टोन केशर के निरीक्षण के दौरान उपखनिज भण्डार चार दिवारी से उपर पाया गया है। जिस पर स्टोन केशर नीति-2021 में दिये गये प्राविधानोंनुसार अर्थ दण्ड रू० दो लाख अधिरोपित कर चालान के माध्यम से जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-43)
- 3.11 स्टोन केशर द्वारा सहमति शर्त के अनुसार उत्पादन तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के साथ इन्टरलॉकिंग नहीं किया गया है।
- 3.12 स्टोन केशर प्लांट में जॉ केशर, वाईब्रेटिंग स्क्रीन, कोन केशर में धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये टिन सेड की व्यवस्था की गयी है। कन्वेयर बैल्ट को टिन द्वारा कवर किया गया है। (संलग्नक-44)
- 3.13 इकाई में 500 के०वी०ए०, 320 के०वी०ए० व 30 के०वी०ए० क्षमता का तीन डी०जी० सेट स्थापित है तथा डी०जी० सेट के स्टैंक की ऊचाई मानको के अनुरूप नहीं है।

4. मै० गुरु हर राय स्टोन केशर ग्राम- सोबनपुर तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल।

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

- 4.1 मै० गुरु हर राय स्टोन केशर ग्राम-सोबनपुर तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 5.185 है० भूमि पर स्थापित है। निरीक्षण के समय उक्त स्टोन केशर संचालन में पाया गया।



Fig. (04) Location of the M/s Guru Har Rai Stone Crusher Unit (Source: Google Earth)

- 4.2 इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा स्थापनार्थ सहमति कार्यालय के पत्रांक संख्या-यूईपीपीसीबी/एचओ/एनओसी-7021/2018/305 दिनांक 17.15.2018 के द्वारा प्राप्त है। (संलग्नक-45)
- 4.3 इकाई को उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1698/VII-1/34/स्टोन केशर/2016 दिनांक 03.01.2017 के द्वारा अनुज्ञा नीति-2016 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-593/स्टोन केशर/भू०खनि०ई०/खनन/नैनी०/2016-17 दिनांक 05.10.2016 के द्वारा 100 टन प्रति घण्टा क्षमता के स्टोन केशर स्थापना संचालन अनुमति 05 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान की गई है। (संलग्नक-46)
- 4.4 स्टोन केशर को भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड भोलापानी देहरादून के पत्रांक 2232/स्टोन केशर नवीनीकरण/खनन/भू०खनि०ई०/उद्य०/2021-22 दिनांक 29.09.2021 के द्वारा ग्राम- सोबनपुर तहसील- रामनगर, जिला-नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 5.185 हैक्टर भूमि पर केशर प्लांट का मय भण्डारण अनुज्ञा सहित 03.01.2022 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिये सशर्त नवीनीकरण किया गया है। (संलग्नक-47)

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

साईट की उपयुक्तता:-

स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, प्लवराईजर प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, अनुज्ञा नीति-2015 के द्वारा स्टोन केशर की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है:-

क्र० सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी
1	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर से अधिक
2	(क) नदी के किनारे से दूरी	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
	(ख) बरसाती नदी, नाला, गदेरा के किनारे से	50 मीटर	50 मीटर से अधिक
3	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
4	स्कूल शैक्षणिक संस्थान अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
5	आवासीय भवन का एक परिवार का एक मकान/ एक से अधिक परिवार का मकान	300 मीटर	300 मीटर से अधिक

4.5 स्टोन केशर उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, प्लवराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञानीति-2021 स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है:-

उत्तराखण्ड स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, प्लवराईजर प्लांट, हॉटमिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति 2021 के बिन्दु 16-(4) में पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन केशर/ स्क्रीनिंग प्लांट को इस नीति में उल्लिखित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानको को छोड़कर अन्य मानको को प्रत्येक दशा में छः माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा का प्राविधान निहित है। उक्त स्टोन केशर पूर्व से स्थापित एवं संचालित है। जिस कारण इस नीति में उल्लिखित दूरी के मानक लागू नहीं होते हैं। (संलग्नक 04 के अनुसार।)

4.6 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के व उत्तराखण्ड स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट नीति-2021 के अन्तर्गत स्टोन केशर हेतु निर्धारित मानकों व निरीक्षण के दौरान सहमति शर्तों के अनुपालन व प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के संचालन के अनुपालन की स्थिति निम्नवत है।

- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट में धूल जनित बिन्दुओं में फब्वारों की स्थापना की गयी है। निरीक्षण के समय फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा फब्वारों में आवश्यकतानुसार जल दाब पाया गया व फब्वारों संचालित थे। (संलग्नक-48)
- स्टोन केशर द्वारा 14-15 फिट ऊँची विन्ड ब्रेकिंग वाल की स्थापना की गई है। (संलग्नक-49)
- स्टोन केशर के परिसर आंशिक रूप से Metallic Road का निर्माण किया गया है। निरीक्षण के समय आन्तरिक मार्ग क्षतिग्रस्त पाये गये। (संलग्नक-50)
- स्टोन केशर के परिसर में धूल कणों के नियंत्रण हेतु वाटर टैंकर व Water Sprinkler के माध्यम से पानी का छिड़काव की व्यवस्था है। (संलग्नक-51)

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled 'B' and several illegible signatures.

- e) स्टोन केशर में जल का उपयोग स्कीनिंग प्लांट, स्प्रिकलर व जल छिड़काव में किया जाता है। इकाई द्वारा टयूबवेल के माध्यम से पानी के आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। निरीक्षण के दौरान इकाई में Water Intake Point पर Tamper Proof इलैक्ट्रॉनिक मीटर स्थापित पाया गया तथा केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्लूए) से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। पानी की खपत के निर्धारण हेतु लॉगबुक की व्यवस्था नहीं है। (संलग्नक-52)
- f) स्कीनिंग प्लांट से उत्पन्न जल के पुनः प्रयोग हेतु पृथक से पक्का सैंटलिंग टैंक का निर्माण किया गया है तथा प्रक्रिया से जनित जल का पुनः धुलाई में उपयोग किया जाता है एवं जनित मिट्टी का निस्तारण परिसर में खाली भूमि में किया जाता है। (संलग्नक-53)
- g) स्टोन केशर के चारों ओर दो कतार में हरित पट्टिका विकसित की गई है। जिसकी चौड़ाई लगभग 6 फीट है। पश्चिम दिशा में हरित पट्टिका विकसित नहीं है जो अनुज्ञा नीति में निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं है। (संलग्नक-54)
- h) निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण किया गया, जिसमें एस0पी0एम0 की मात्रा 583.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है। एस0पी0एम0 बोर्ड मानको के अनुरूप है। (संलग्नक-55)
- 4.7 स्टोन केशर को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति उत्पादन क्षमता 24,000 MT/Month के साथ 31.03.2022 तक प्राप्त है। इकाई द्वारा संचालनार्थ सहमति हेतु बोर्ड में ऑनलाईन आवेदन किया गया है। प्राप्त आवेदन वॉछित प्रपत्रों के संबंध में वापस की गयी है। जो वर्तमान में लंबित है। (संलग्नक-56)
- 4.8 इकाई द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्टोन केशर नीति-2021 के अनुपालन में Ducting and Scrubbing System स्थापित किया गया है, जोकि निरीक्षण के समय संचालन में था। (संलग्नक-57)
- 4.9 स्टोन केशर द्वारा राज्य स्टोन केशर नीति-2021 के अनुसार तीन कतारों में हरित पट्टिका की स्थापना नहीं की गयी है।
- 4.10 स्टोन केशर के निरीक्षण के दौरान उपखनिज भण्डार चाहरदिवारी से उपर पाया गया है। जिस पर स्टोन केशर नीति-2021 में दिये गये प्राविधानोंनुसार अर्थ दण्ड रू0 दो लाख अधिरोपित कर चालान के माध्यम से जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-58)
- 4.11 स्टोन केशर द्वारा सहमति शर्त के अनुसार उत्पादन तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के साथ इन्टरलॉकिंग नहीं किया गया है।
- 4.12 स्टोन केशर प्लांट में जॉ केशर, वाईब्रेटिंग स्कीन, कोन केशर में धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये टिन सेड की व्यवस्था की गयी है। कन्वेयर बैल्ट को टिन द्वारा कवर किया गया है। (संलग्नक-59)
- 4.13 इकाई में 360 क्वी0एम0 एवं 82.5 क्वी0एम0 क्षमता का तीन डी0जी0 सेट स्थापित है तथा डी0जी0 सेट के स्टैंक की ऊचाई मानको के अनुरूप नहीं है।

5. मै0 महाबली स्टोन केशर, प्रा0 लि0 रामनगर, जिला-नैनीताल।

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

- 5.1 मै0 महाबली स्टोन केशर प्रा0 लि0 ग्राम-पापडी, पो0 पीरूमदारा तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल, क्षेत्रान्तगत कुल रकवा 2.284 है0 (5.64 एकड़) भूमि में स्थापित है। निरीक्षण के समय उक्त स्टोन केशर संचालित पाया गया।



Fig. (05) Location of the M/s Mahabali Stone Crusher Unit (Source: Google Earth)

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a blue signature and a blue mark resembling a stylized 'B' or 'B'.

- 5.2 इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा स्थापनार्थ सहमति कार्यालय के पत्रांक संख्या-यूईपीपीसीबी/एचओ/एनओसी-5099/2016/1458 दिनांक 17.11.2016 के द्वारा प्राप्त है। (संलग्नक-60)
- 5.3 इकाई को उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग के पत्र संख्या-636/VII-1/10-स्टोन केशर/2015 दिनांक 31.07.2015 के द्वारा अनुज्ञा नीति-2011 के अन्तर्गत 200 टन प्रति दिन क्षमता का स्टोन केशर स्थापना/संचालन हेतु अनुमति 05 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान की गई है। (संलग्नक-61)
- 5.4 स्टोन केशर को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 पत्रांक संख्या 188/VII-A-1/10/स्टोन केशर/2015 दिनांक- 27.01.2021 के द्वारा ग्राम-पापड़ी, पो0 पीरूमदारा तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 2.284 हैक्टेयर भूमि पर केशर प्लांट का मय भण्डारण अनुज्ञा 27 जनवरी 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिये सशर्त नवीनीकरण किया गया है। (संलग्नक-62)

साईट की उपयुक्तता:-

- 2.14 स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, प्लवराईजर प्लांट, अनुज्ञा नीति- 2011 (मैदानी क्षेत्रों) के द्वारा स्टोन केशर की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है:-

क्र० सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी
1	सरकारी वन	500 मीटर	500 मीटर से अधिक
2	(क) नदी के किनारे से दूरी	500 मीटर	500 मीटर से अधिक
3	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	500 मीटर	500 मीटर से अधिक
4	स्कूल शैक्षणिक संस्थान अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	500 मीटर	500 मीटर से अधिक
5	आवासीय भवन का एक परिवार का एक मकान	500 मीटर	-
6	आवासीय क्षेत्र एक से अधिक परिवार का मकान	500 मीटर	500 मीटर के अन्तर्गत तदसमय 10 आवासीय भवन निर्मित है, जिसकी अनापत्ति/शपथ पत्र पूर्व में दिये गये है

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के व उत्तराखण्ड स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट नीति-2021 के अन्तर्गत स्टोन केशर हेतु निर्धारित मानकों व निरीक्षण के दौरान सहमति शर्तों के अनुपालन व प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के संचालन के अनुपालन की स्थिति निम्नवत है।

- a) स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट में धूल जनित बिन्दुओं में फव्वारों की स्थापना की गयी है। निरीक्षण के समय फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल दाब पाया गया व फव्वारों संचालित थे। (संलग्नक-63)
- b) स्टोन केशर द्वारा 15 फिट ऊँची विन्ड ब्रेकिंग वाल की स्थापना की गई है। (संलग्नक-64)
- c) स्टोन केशर के परिसर Metallic Road का निर्माण किया गया है। (संलग्नक-65)
- d) स्टोन केशर के परिसर में धूल कणों के नियंत्रण हेतु वाटर टैंकर व Water Sprinkler के माध्यम से पानी का छिड़काव की व्यवस्था है। (संलग्नक-66)













- e) स्टोन केशर में जल का उपयोग स्क्रीनिंग प्लांट, स्पीकलर व जल छिड़काव में किया जाता है। इकाई द्वारा टयूबवेल के माध्यम से पानी के आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। निरीक्षण के दौरान इकाई में Water Intake Point पर Tamper Proof इलैक्ट्रॉनिक मीटर स्थापित पाया गया तथा केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। पानी की खपत के निर्धारण हेतु लॉगबुक की व्यवस्था नहीं है। (संलग्नक-67)
- f) स्क्रीनिंग प्लांट से उत्पन्न जल के पुनः प्रयोग हेतु पृथक से कच्चा सैटलिंग टैंक का निर्माण किया गया है तथा प्रक्रिया से जनित जल का पुनः धुलाई में उपयोग किया जाता है एवं जनित मिट्टी का निस्तारण परिसर में खाली भूमि में किया जाता है। (संलग्नक-68)
- g) स्टोन केशर के तीन ओर तीन कतार में हरित पट्टिका विकसित की गई है। जिसकी चौड़ाई लगभग 9-10 फीट है तथा उत्तर पूर्व दिशा में एक कतार में हरित पट्टिका विकसित की गयी है। जो अनुज्ञा नीति-2021 में निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं है। (संलग्नक-69)
- h) निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण किया गया, जिसमें एस0पी0एम0 की मात्रा 590.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है। एस0पी0एम0 बोर्ड मानको के अनुरूप है। (संलग्नक-70)
- 5.5 स्टोन केशर को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति उत्पादन क्षमता 5,200 MT/Month के साथ 31.03.2020 तक प्राप्त है। इकाई द्वारा संचालनार्थ सहमति हेतु बोर्ड में ऑनलाईन आवेदन किया गया है। प्राप्त आवेदन वॉछित प्रपत्रों के संबंध में वापस की गयी है। जो वर्तमान में लंबित है। (संलग्नक-71)
- 5.6 इकाई द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्टोन केशर नीति-2021 के अनुपालन में Ducting and Scrubbing System स्थापित नहीं किया गया है।
- 5.7 स्टोन केशर द्वारा राज्य स्टोन केशर नीति-2021 के अनुसार तीन कतारों में हरित पट्टिका की स्थापना नहीं की गयी है।
- 5.8 स्टोन केशर के निरीक्षण के दौरान उपखनिज भण्डार चाहरदिवारी से उपर पाया गया है। जिस पर स्टोन केशर नीति-2021 में दिये गये प्राविधानोंनुसार अर्थ दण्ड रू0 दो लाख अधिरोपित कर चालान के माध्यम से जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-72)
- 5.9 स्टोन केशर द्वारा सहमति शर्त के अनुसार उत्पादन तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के साथ इन्टरलॉकिंग नहीं किया गया है।
- 5.10 स्टोन केशर प्लांट में जॉ केशर, वाईब्रेटिंग स्क्रीन, कोन केशर में धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये टिन सेड की व्यवस्था की गयी है। कन्वेयर बैल्ट को टिन द्वारा कवर किया गया है। (संलग्नक-73)
- 5.11 इकाई में 650 के0वी0ए0 क्षमता का एक डी0जी0 सेट स्थापित है तथा डी0जी0 सेट के स्टैंग की ऊंचाई मानको के अनुरूप है। (संलग्नक-74)

6. मै0 न्यू रामनगर स्टोन केशर, रामनगर नैनीताल।

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

- 6.1 मै0 न्यू रामनगर स्टोन केशर ग्राम-शिवलालपुर पाण्डे, रेलवे बोर्ड, तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल, क्षेत्रान्तर्गत खसरा सख्या-207 कुल रकवा .839 है0 भूमि में स्थापित है। निरीक्षण के समय उक्त स्टोन केशर संचालित पाया गया।
- 6.2 स्टोन केशर की स्थापना वर्ष 1984 है। (संलग्नक-75)

strj

→ (B)

2

Signature

Signature



Fig. (06) Location of the M/s New Ramnagar Stone Crusher Unit (Source: Google Earth)

- 6.2 स्टोन केशर को उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 पत्रांक संख्या 1344/VII-A-1/2021/3(93)/21 दिनांक- 17.08.2021 द्वारा 82 टन प्रति घण्टा क्षमता के स्टोन केशर स्थापना संचालन अनुमति प्रदान की गई है। (संलग्नक-76)
- 6.3 स्टोन केशर को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 पत्रांक संख्या 636/VII-A-1/10/स्टोन केशर/2015 दिनांक- 31.07.2015 द्वारा ग्राम-शिवलालपुर पाण्डे, रेलवे बोर्ड, तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल, क्षेत्रान्तगत खसरा संख्या-207 कुल रकवा .839 है 0 भूमि पर केशर प्लांट का मय भण्डारण अनुज्ञा 05 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान की गयी थी। जिसे उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 द्वारा 19.11.2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिये शर्त नवीनीकरण किया गया है। (संलग्नक-77)

साईट की उपयुक्तता:-

- 6.4 स्टोन केशर उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लांट, प्लव राईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञानीति-2021 स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है:-
उत्तराखण्ड स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लांट, प्लवराईजर प्लांट, हॉटमिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति 2021 के बिन्दु 16-(4) में पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन केशर/ स्कीनिंग प्लांट को इस नीति में उल्लिखित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानको को छोड़कर अन्य मानको को प्रत्येक दशा में छः माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा का प्राविधान निहित है। उक्त स्टोन केशर पूर्व से स्थापित एवं संचालित है। जिस कारण इस नीति में उल्लिखित दूरी के मानक लागू नहीं होते हैं। (संलग्नक 04 के अनुसार।)
- 6.5 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के व उत्तराखण्ड स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट नीति-2021 के अन्तर्गत स्टोन केशर हेतु निर्धारित मानकों व निरीक्षण के दौरान सहमति शर्तों के अनुपालन व प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के संचालन के अनुपालन की स्थिति निम्नवत है।
- स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट में धूल जनित बिन्दुओं में फव्वारों की स्थापना की गयी है। निरीक्षण के समय फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल दाब पाया गया व फव्वारों संचालित थे। (संलग्नक-78)
 - स्टोन केशर द्वारा परिसर के तीन तरफ लगभग 10-12 फिट ऊँची विन्ड ब्रेकिंग वाल की स्थापना की गई है एवं उत्तर पश्चिम दिशा में आशिक रूप क्षतिग्रस्त है। (संलग्नक-79)
 - स्टोन केशर के परिसर Metallic Road का निर्माण किया गया है। (संलग्नक-80)
 - स्टोन केशर के परिसर में धूल कणों के नियंत्रण हेतु वाटर टैंकर व Water Sprinkler के माध्यम से पानी का छिडकाव की व्यवस्था है। (संलग्नक-81)

श्री

①

२

श्री

३

- e) स्टोन केशर में जल का उपयोग, स्प्रिकलर व जल छिड़काव में किया जाता है। इकाई द्वारा जल संस्थान के पाइप लाइन के माध्यम से पानी के आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इकाई द्वारा भू-जल का उपयोग नहीं किया जाता है। पाइप लाइन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की स्थापना नहीं गयी है तथा पानी की खपत के निर्धारण हेतु लॉगबुक की व्यवस्था नहीं है। (संलग्नक-82)
- f) स्टोन केशर के चारों ओर एक कतार में हरित पट्टिका विकसित की गई। (संलग्नक-83)
- g) निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण किया गया, जिसमें एस0पी0एम0 की मात्रा $540.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ है। एस0पी0एम0 बोर्ड मानको के अनुरूप है। (संलग्नक-84)
- 6.6 स्टोन केशर को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति उत्पादन क्षमता 16500 MT/Month के साथ 31.03.2027 तक निर्गत की गई है। (संलग्नक-85)
- 6.7 इकाई द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्टोन केशर नीति-2021 के अनुपालन में Ducting and Scrubbing System स्थापित किया गया है, जोकि निरीक्षण के समय संचालन में था। (संलग्नक-86)
- 6.8 स्टोन केशर द्वारा राज्य स्टोन केशर नीति-2020 के अनुसार तीन कतारों में हरित पट्टिका की स्थापना नहीं की गयी है।
- 6.9 स्टोन केशर के निरीक्षण के दौरान उपखनिज भण्डार चाहरदिवारी से उपर पाया गया है। जिस पर स्टोन केशर नीति-2021 में दिये गये प्राविधानोंनुसार अर्थ दण्ड रू0 दो लाख अधिरोपित कर चालान के माध्यम से जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-87)
- 6.10 स्टोन केशर द्वारा सहमति शर्त के अनुसार उत्पादन तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के साथ इन्टरलॉकिंग नहीं किया गया है।
- 6.11 स्टोन केशर प्लांट में जॉ केशर, वाईब्रेटिंग स्क्रीन, कोन केशर में धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये टिन सेड की व्यवस्था की गयी है। कन्वेयर बैल्ट को टिन द्वारा कवर किया गया है। (संलग्नक-88)
- 6.12 इकाई में 500 क्वी0एम0 क्षमता का एक डी0जी0 सेट स्थापित है तथा डी0जी0 सेट के स्टैंग की ऊचाई मानको के अनुरूप नहीं है।

7. मै0 ए0बी0 कन्स्ट्रक्शन, ग्राम- उदयपुरी बन्दोबस्ती, रामनगर (स्क्रीनिंग प्लान्ट)

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

- 7.1 मै0 ए0बी0 कन्स्ट्रक्शन, ग्राम- उदयपुरी बन्दोबस्ती, रामनगर (स्क्रीनिंग प्लान्ट), जिला-नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत खाता संख्या-36 (1. 419 है0) भूमि पर स्थापित है। निरीक्षण के दौरान स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालन में था।
- 7.2 इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा स्थापनार्थ सहमति कार्यालय के पत्रांक संख्या-यूईपीपीसीबी/आरओएच/ए-177/19/293-57 दिनांक 04.05.2019 के द्वारा प्राप्त है। (संलग्नक-89)



Fig. (07) Location of the M/s AB Construction Unit (Source: Google Earth)

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a blue signature on the left, a blue signature in the center, and a blue signature on the right. There are also some blue scribbles and a blue circle with the number 17 inside.

7.3 स्क्रीनिंग प्लान्ट को उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1421/VII-1/2018/38 स्क्रीनिंग प्लान्ट/18 दिनांक 27जुलाई 2018 के द्वारा 100 टन प्रति घण्टा क्षमता के स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना संचालन अनुमति प्रदान की गई है। (संलग्नक-90)

साईट की उपयुक्तता:-


7.4 स्टोन केशर उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, प्लव राईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञानीति-2016 में स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है:-

क्र० सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी
1	सरकारी वन	50 मीटर	50 मीटर से अधिक
2	(क) नदी के किनारे से दूरी।	10 मीटर	10 मीटर से अधिक
	(ख) बरसाती नदी, नाला, गदेरा के किनारे से	10 मीटर	10 मीटर से अधिक
3	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	100 मीटर	100 मीटर से अधिक
4	स्कूल शैक्षणिक संस्थान अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	100 मीटर	100 मीटर से अधिक
5	आबादी से दूरी	100 मीटर	100 मीटर से अधिक

7.5 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के व उत्तराखण्ड स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट नीति-2021 के अन्तर्गत स्टोन केशर हेतु निर्धारित मानकों व निरीक्षण के दौरान सहमति शर्तों के अनुपालन व प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के संचालन के अनुपालन की स्थिति निम्नवत है।

- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट में धूल जनित बिन्दुओं में फब्वारों की स्थापना की गयी है। निरीक्षण के समय फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा फब्वारों में आवश्यकतानुसार जल दाब पाया गया व फब्वारों संचालित थे। (संलग्नक-91)
- स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा लगभग 10-12 फिट ऊँची विन्ड ब्रेकिंग वाल की स्थापना की गई है। जो जीआई सीट द्वारा निर्मित है तथा पूर्व दिशा में चाहर दिवारी क्षतिग्रस्त है। (संलग्नक-92)
- स्क्रीनिंग प्लान्ट के परिसर में **Metallic Road** का निर्माण किया गया है। (संलग्नक-93)
- स्क्रीनिंग प्लान्ट के परिसर में धूल कणों के नियंत्रण हेतु वाटर टैंक व **Water Sprinkler** के माध्यम से पानी का छिड़काव की व्यवस्था है। (संलग्नक-94)
- स्टोन केशर में जल का उपयोग स्क्रीनिंग प्लांट, स्प्रिकलर व जल छिड़काव में किया जाता है। इकाई द्वारा टयूबवेल के माध्यम से पानी के आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। निरीक्षण के दौरान इकाई में **Water Intake Point** पर **Tamper Proof** इलैक्ट्रॉनिक मीटर स्थापित नहीं पाया गया तथा केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्लूए) से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। पानी की खपत के निर्धारण हेतु लॉगबुक की व्यवस्था नहीं है। (संलग्नक-95)
- स्क्रीनिंग प्लांट से उत्पन्न जल के पुनः प्रयोग हेतु पृथक से कच्चा सैटलिंग टैंक का निर्माण किया गया है तथा प्रक्रिया से जनित जल का पुनः धुलाई में उपयोग किया जाता है एवं जनित मिट्टी का निस्तारण परिसर में खाली भूमि में किया जाता है। (96)
- स्टोन केशर के चारों ओर एक कतार में हरित पट्टिका विकसित की गई है। (97)













- h) निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण किया गया, जिसमें एस0पी0एम0 की मात्रा 382.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है। एस0पी0एम0 बोर्ड मानको के अनुरूप है। (संलग्नक-98)
- 7.6 स्कीनिंग प्लान्ट को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति उत्पादन क्षमता 24,000 MT/Month के साथ 31.03.2023 तक निर्गत की गई है। (संलग्नक-99)
- 7.7 इकाई द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्टोन केशर नीति-2021 के अनुपालन में Ducting and Scrubbing System स्थापित नहीं है।
- 7.8 स्कीनिंग प्लान्ट द्वारा राज्य स्टोन केशर नीति-2021 के अनुसार तीन कतारों में हरित पट्टिका की स्थापना नहीं की गयी है।
- 7.9 स्टोन केशर के निरीक्षण के दौरान उपखनिज भण्डार चाहरदिवारी से उपर पाया गया है। जिस पर स्टोन केशर नीति-2021 में दिये गये प्राविधानोंनुसार अर्थ दण्ड रू0 दो लाख अधिरोपित कर चालान के माध्यम से जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-100)
- 7.10 स्टोन केशर द्वारा सहमति शर्त के अनुसार उत्पादन तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के साथ इन्टरलॉकिंग नहीं किया गया है।
- 7.11 स्कीनिंग प्लान्ट तथा कन्वेयर बैल्ट को टिन सेट द्वारा कवर किया गया है। (संलग्नक-101)
- 7.12 इकाई में 250 के0वी0ए0 क्षमता का एक डी0जी0 सेट स्थापित है तथा डी0जी0 सेट के स्टैंक की ऊचाई मानको के अनुरूप नहीं है।

8. मै0 तेग प्रकाश स्टोन केशर, ग्राम-सोबनपुर, तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल।

- 8.1 मै0 तेग प्रकाश स्टोन केशर ग्राम-सोबनपुर तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल में मै0 तेग प्रकाश स्टोन केशर नाम से स्टोन केशर स्थापित/संचालित नहीं है। जिस कारण से प्रश्नगत स्टोन केशर का निरीक्षण नहीं किया गया है।


9. मै0 तेग बहादुर स्टोन केशर, ग्राम-कन्दला, तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल।

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

- 9.1 मै0 तेग बहादुर स्टोन केशर, ग्राम-कन्दला तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत खाता संख्या- 98, 91 के रकवा 1. 415 है0 में प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल खाली है। किसी प्रकार का स्टोन केशर निर्माण संबंधी कार्य नहीं किया गया है। (संलग्नक-102)
- 9.2 स्टोन केशर को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (अनुभाग-1) संख्या 2325/VII-A-1/2021/03(117)/21 देहरादून दिनांक 07.01.2022 द्वारा 200 टन प्रति घण्टा की क्षमता की स्टोन केशर की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की 10 वर्ष हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है। (संलग्नक-103)

साईट की उपयुक्तता:-

- 9.3 स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञानीति-2021 के द्वारा स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है।



क्र० सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी
1	सरकारी वन	100 मीटर	600 मीटर से अधिक
2	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से दूरी।	01 मीटर	-
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी के किनारे से दूरी	500 मीटर	03 किमी० से अधिक
	(ग) बरसाती नदी, नाला, गदेरा के किनारे से	50 मीटर	50 मीटर से अधिक
3	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
4	स्कूल शैक्षणिक संस्थान अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर से अधिक (प्रस्तावित स्टोन केशर के डग वाले स्थान से)
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर से अधिक (प्रस्तावित स्टोन केशर के डग वाले स्थान से)

9.4 प्रस्तावित स्टोन केशर को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है।

10. मै० कटारिया स्टोन केशर, ग्राम-पापड़ी, तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल।

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

- 10.1 मै० कटारिया स्टोन केशर ग्राम-पापड़ी तहसील रामनगर जिला-नैनीताल, के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या- 167, 165/7/2, 223, 168, 165/10/1 कुल रकवा 1.539 है० में स्थापित है। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित स्थल पर केशर स्थापना संबंधी कार्य पूर्व में किये गये है। निरीक्षण के समय निर्माणाधीन कार्य नहीं किया जा रहा था। (संलग्नक-104)
- 10.2 स्टोन केशर को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (अनुभाग-1) संख्या 2309/VII-A-1/2021/03(113)/21 देहरादून दिनांक 24.12.2021 द्वारा 100 टन प्रति घण्टा की क्षमता की स्टोन केशर की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की 10 वर्ष हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है। (संलग्नक-105)

साईट की उपयुक्तता:-

- 10.3 स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञानीति-2021 के द्वारा स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र० सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी
1	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर से अधिक
2	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से दूरी	01 मीटर	-
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी के किनारे से दूरी	500 मीटर	02 किमी० से अधिक
	(ग) बरसाती नदी, नाला, गदेरा के किनारे से	50 मीटर	50 मीटर से अधिक
3	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
4	स्कूल शैक्षणिक संस्थानए अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर के अन्दर आवासीय भवन (टिप्पणी में उल्लेखित है।)

टिप्पणी:-

प्रस्तावित स्टोन केशर के 300 मीटर के अन्दर आने वाले रिहायशी पक्के भवन के स्वामियों श्री सुरेश चौधरी पुत्र श्री गुरदास राम, निवासी ग्राम-पापड़ी द्वारा शपथ पत्र सं० NUK57345973670140T दिनांक 02 दिसम्बर 2021 तथा श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री गुरदास राम निवासी ग्राम-पापड़ी तह० रामनगर द्वारा शपथ पत्र सं० UK57345841822863T दिनांक 02.12.2021 द्वारा इस आशय के नोटराइज्ड शपथ पत्रदिये गये हैं कि उक्त प्रस्तावित कटारिया स्टोन केशर की स्थापना होने में मुझ शपथकर्ता को भविष्य में कोई भी आपत्ति व एतराज नहीं है। श्री कुलदीप कुमार दलीप कुमार पुत्रगण गुरदासराम के भी आवासीय भवन है जो कि प्रस्तावित स्टोन केशर के साझीदार है, के द्वारा भी सहमति प्रदान की गई है। प्रस्तावित स्टोन केशर की भूमि की हदूद के अन्तर्गत खसरा सं० 189 में सरकारी गूल गुजरती है। जिसके संबंध में कार्यालय जिलेदार, सिचाई खण्ड रामनगर के पत्रांक सं० 154/जि०सि०ख०रा०/अनापत्ति/दिनांक 04.12.2021 के द्वारा स्टोन केशर स्थापित करने हेतु अपनी अनापत्ति दी गई है।


10.4 प्रस्तावित स्टोन केशर को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सशर्त स्थापनार्थ सहमति प्राप्त है। (संलग्नक-106)

11. मै० पीरूमदारा स्टोन केशर, ग्राम-पापड़ी, तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल।

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

11.1 मै० पीरूमदारा स्टोन केशर ग्राम-पापड़ी तहसील रामनगर जिला-नैनीताल, के क्षेत्रान्तर्गत खाता संख्या- 183 मि०, 185 मि०, 200 मि०, 201 मि०, 255 मि०, 203 मि०, 204 कुल रकवा 1.084 में प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल खाली है। किसी प्रकार का स्टोन केशर निर्माण संबंधी कार्य नहीं किया गया है। (संलग्नक-107)

11.2 स्टोन केशर को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (अनुभाग-1) संख्या 78/VII-A-1/2021/03(22)/22 देहरादून दिनांक 07.01.2022 द्वारा 200 टन प्रति घण्टा की क्षमता की स्टोन केशर की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की 10 वर्ष हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है। (संलग्नक-108)



साईट की उपयुक्तता:-

11.3 स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञानीति-2021 के द्वारा स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है।

क्र० सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी
1	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर से अधिक
2	(क) जिला-हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से	01 किमी०	-
	(ख) नदी के किनारे से दूरी	500 मीटर	03 किमी० से अधिक
	(ग) बरसाती नदी, नाला, गदरा के किनारे से	50 मीटर	50 मीटर से अधिक
3	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
4	स्कूल शैक्षणिक संस्थान अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर के अन्तर्गत आवासीय भवन स्थित है (टिप्पणी में उल्लेखित है।)

टिप्पणी:-

प्रस्तावित स्टोन केशर के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार नियत डग वाले स्थान से 300 मीटर की दूरी के अन्दर आने वाले रिहाइशी पक्के भवन है, जो कि जसविन्दर चौधरी पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र एवं मदनलाल पुत्र परसराम श्यामलाल पुत्र प्रेम चन्द्र, श्रीमती सुदेश पत्नी महेन्दर कुमार, शेर मोहम्मद पुत्र मो० शरीफ, अछार दास पुत्र लम्बू राम द्वारा प्रस्तावित स्टोन केशर की स्थापना किये जाने के संबंध में अनापत्ति स्वरूप जरिये नोटरी शपथपत्र दिये गये है, जो संलग्न है। प्रस्तावित भूमि में स्टोन केशर की भूमि हदद एवं चौदहवी के अन्तर्गत खसरा नं० 189 एवं 264 में राजकीय गूलें है। जिसके संबंध में संबंधित विभाग से अनापत्ति लेना उचित होगा।


11.4 प्रस्तावित स्टोन केशर को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है।

12. मै० केसरी नंदन मिनरल्स, ग्राम-उदयपुर बंदोबस्ती, तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल।

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

12.1 मै० केसरी नंदन मिनरल्स ग्राम-उदयपुर बंदोबस्ती तहसील रामनगर जिला-नैनीताल, के क्षेत्रान्तर्गत के खसरा संख्या 351, 352, 353, 355, 357, 359मि० कुल रकबा 1.682 है० भूमि में प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल खाली है। किसी प्रकार का स्टोन केशर निर्माण संबंधी कार्य नहीं किया गया है। (संलग्नक-109)

12.2 स्टोन केशर को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (अनुभाग-1) संख्या 2329/VII-A-1/2021/03(128)/21 देहरादून दिनांक 05.01.2022 द्वारा 100 टन प्रति घण्टा की क्षमता की स्टोन केशर की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की 10 वर्ष हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है। (संलग्नक-110)



साईट की उपयुक्तता:-

12.3 स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञानीति-2021 के द्वारा स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है।

क्र० सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी
1	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर से अधिक
2	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से दूरी	01 किमी०	-
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी के किनारे दूरी।	500 मीटर	02 किमी० से अधिक
	(ग) बरसाती नदी, नाला, गदरा के किनारे से	50 मीटर	50 मीटर से अधिक
3	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
4	स्कूल शैक्षणिक संस्थानए अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर के अन्तर्गत 06 आवासीय भवन स्थापित है। जिन के द्वारा नोट शपथ पत्र के द्वारा अनापत्ति दी गयी

12.4 प्रस्तावित स्टोन केशर को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है।

13. मै० गुरुनानक स्टोन केशर, ग्राम-पापडी, तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल।

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

13.1 मै० गुरुनानक स्टोन केशर ग्राम-पापडी तहसील रामनगर जिला-नैनीताल, के क्षेत्रान्तर्गत के खसरा संख्या 208, 253मि० 180, 181, 182/1, 182/2, 205, 206 खसरा संख्या 207 कुल रकवा 2.512 है० भूमि में प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल खाली है। किसी प्रकार का स्टोन केशर निर्माण संबंधी कार्य नहीं किया गया है। (संलग्नक-111)

13.2 स्टोन केशर को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (अनुभाग-1) संख्या 2460/VII-A-1/2021/03(136)/21 देहरादून दिनांक 06.01.2022 द्वारा 200 टन प्रति घण्टा की क्षमता की स्टोन केशर की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की 10 वर्ष हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है। (संलग्नक-112)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

साईट की उपयुक्तता:-

13.3 स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञानीति-2021 के द्वारा स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है।

क्र० सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी
1	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर से अधिक
2	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से दूरी	01 किमी०	-
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी के किनारे दूरी।	500 मीटर	02 किमी० से अधिक
	(ग) बरसाती नदी, नाला, गदरा के किनारे से	50 मीटर	50 मीटर से अधिक
3	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
4	स्कूल शैक्षणिक संस्थानए अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर की दूरी के अन्दर आवासीय भवन (टिप्पणी में उल्लेखित है।)

टिप्पणी:-

प्रस्तावित स्टोन केशर के अन्तर्गत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार नियत डग वाले स्थान से 300 मीटर की दूरी के अन्दर आने वाले रिहाइशी पक्के भवन है, जो कि जसविन्दर पाल चौधरी पुत्र प्रकाश चन्द्र एवं मदनलाल पुत्र परसराम के हैं, उपरोक्त भवन स्वामियों द्वारा स्टोन केशर लगाये जाने में कोई आपत्ति पत्र दिया गया है। जो संलग्न है। उक्त प्रस्तावित स्टोन केशर की हद के अन्दर खसरा सं० 189, 264, की गूल होकर गुजरती है। जिसके लिये अधि० अभियन्ता, सिचाई खण्ड, रामनगर के पत्रांक सं०1482/सि०ख०रा०/अनापत्ति दिनांक 16.12.2021 द्वारा अनापत्ति दी गई है।

13.4 प्रस्तावित स्टोन केशर को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है।

14. मै० एक ओंकार स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम-वीरपुर, तारा तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल।

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

14.1 मै० एक ओंकार स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम-वीरपुर तारा, तहसील रामनगर जिला-नैनीताल, के क्षेत्रान्तर्गत के खसरा संख्या.52/मि०, 62/2 मि०, 65/1 मि०, 46/3 मि०, 65/1 मि०, 64मि० कुल रकवा 1.400 है० में प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल खाली है। किसी प्रकार का स्टोन केशर निर्माण संबंधी कार्य नहीं किया गया है। (संलग्नक-113)

14.2 स्टोन केशर को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (अनुभाग-1) संख्या 2313/VII-A-1/2021/03(114)/21 देहरादून दिनांक 05.01.2022 द्वारा 200 टन प्रति घण्टा की क्षमता की स्टोन केशर की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की 10 वर्ष हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है। (संलग्नक-114)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

साईट की उपयुक्तता:-

14.3 स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञानीति-2021 के द्वारा स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है।

क्र० सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी
1	सरकारी वन	100 मीटर	01 किमी० से अधिक
2	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से दूरी	01 किमी०	-
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी के किनारे दूरी।	500 मीटर	02 किमी० से अधिक
	(ग) बरसाती नदी, नाला, गदेरा के किनारे से	50 मीटर	50 मीटर से अधिक
3	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
4	स्कूल शैक्षणिक संस्थानए अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर से अधिक

14.4 प्रस्तावित स्टोन केशर को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है।

15. मै० रिद्धि सिद्धि, स्टोन केशर, ग्राम-उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल।

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

15.1 मै० रिद्धि सिद्धि, स्टोन केशर, ग्राम-उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर जिला-नैनीताल, के क्षेत्रान्तर्गत के खसरा संख्या 52/1 मि०, 57 मि०, 58 मि०, 46/2 मि०, 50/615, 63, 53, 56, 59 कुल रकवा 2.030 में प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित स्थल पर केशर स्थापना संबंधी कार्य पूर्व में किये गये हैं। निरीक्षण के समय निर्माणाधीन कार्य नहीं किया जा रहा था।

(संलग्नक-115)

15.2 स्टोन केशर को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (अनुभाग-1) संख्या 2280/VII-A-1/2021/03(112)/21 देहरादून दिनांक 31.12.2021 द्वारा 100 टन प्रति घण्टा की क्षमता की स्टोन केशर की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की 10 वर्ष हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है। (संलग्नक-116)

15.3 मै० रिद्धि सिद्धि, स्टोन केशर, ग्राम-उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर जिला-नैनीताल का PIL No-106/2022 मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में वाद विचाराधीन है।

साईट की उपयुक्तता:-

15.4 स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञानीति-2021 के द्वारा स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

क्र० सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी
1	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर से अधिक
2	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से दूरी	01 किमी०	-
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी के किनारे दूरी।	500 मीटर	02 किमी० से अधिक
	(ग) बरसाती नदी, नाला, गदरा के किनारे से	50 मीटर	50 मीटर से अधिक
3	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
4	स्कूल शैक्षणिक संस्थानए अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर से अधिक
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	आवासीय भवन स्थापित (टिप्पणी में उल्लेखित है।)

टिप्पणी:-

प्रस्तावित स्टोन केशर के अन्तर्गत प्रोजेक्टपरिपोर्ट अनुसार नियत डग वाले सीन से 300 मीटर की दूरी अन्दर आने वाले रिहाइशी पक्के भवन, जो कि धर्मपा पुत्र तीर्थराम, देवराज पुत्र मस्तराम के है। उक्त भवन रामनगर नैचुरल स्टोन, प्रो० चरनजीत सिंह प्लांट के साझीदार/मालिक है। जबकि 300 मीटर के अन्दर आने वाले भवन जोकि श्री बन्धुपाल सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, रमन चावला पुत्र श्री प्रेम चन्द्र के है। इनके द्वारा स्टोन केशर स्थापना हेतुनोटराइज्ड शपथ पत्र द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है एवं देशराज पुत्र श्री सतदेव के आवासी मकान भी 300 मीटर के अन्दर है। जो किप्रस्तावित स्टोन केशर के साझीदार/मालिक है। प्रस्तावित स्टोन केशर की हद के अन्दर खसरा नं०62 एवं 51 में गूल गुजरती है जिसके सर्दम में कार्यालय अधि० अभियन्ता सिंवाई खण्ड रामनगर के पत्रांक सं० 1739/सि०ख०/अनापत्ति द्वारा स्टोन केशर स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्राप्त की गयी है। प्रस्तावित स्टोन केशर की प्रस्तावित भूमि के उपर से विद्युत लाईन गुजर रही है। जिसके संबंध में आवेदक द्वारा नोटराइज्ड शपथ पत्र सं० INUK57413105707449 दिनांक 03 दिसम्बर 2021 द्वारा अवगत कराया गया कि स्टोन केशर की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त शपथकर्ता द्वारा विभाग से उक्तविजली के तारों के लाइन को 15 दिन के अन्दर दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करवा लिया जायेगा।

15.5 प्रस्तावित स्टोन केशर को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है।

16. मै० बालाजी, स्टोन केशर, इण्डस्ट्रीज ग्राम-उदयपुरी, तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल।

स्टोन केशर की भूमि उपयोग योजना और स्थान का विवरण:-

- 16.1 मै० बालाजी स्टोन केशर, ग्राम-उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर जिला-नैनीताल, के क्षेत्रान्तर्गत के 1.486 है० में प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल खाली है। किसी प्रकार का स्टोन केशर निर्माण संबंधी कार्य नहीं किया गया है। (संलग्नक-117)
- 16.2 स्टोन केशर को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (अनुभाग-1) संख्या 1541/VII-A-1/2021/03 स्कीनिंग प्लांट/18 देहरादून दिनांक 23.09.2021 द्वारा 100 टन प्रति घण्टा की क्षमता की स्कीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की 10 वर्ष हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है। (संलग्नक-118)
- 16.3 प्रस्तावित स्कीनिंग प्लांट मै० बालाजी स्टोन केशर, ग्राम-उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर जिला-नैनीताल का Writ Petition No- 1081(M/S) of 2021 मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में वाद विचाराधीन है।

साईट की उपयुक्तता:-

- 16.4 स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञानीति-2016 के द्वारा स्कीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु दूरी एवं निर्धारित मानक निम्न है।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

क्र० सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी
1	सरकारी वन	50 मीटर	50 मीटर से अधिक
2	(क) नदी के किनारे से दूरी।	10 मीटर	10 मीटर से अधिक
	(ख) बरसाती नदी, नाला, गदरा के किनारे से	10 मीटर	10 मीटर से अधिक
3	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	100 मीटर	100 मीटर से अधिक
4	स्कूल शैक्षणिक संस्थान अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	100 मीटर	100 मीटर से अधिक
5	आबादी से दूरी	100 मीटर	100 मीटर के अर्न्तगत एक आवासीय भवन स्थित है, जिसकी अनापत्ति संलग्न है।

16.5 प्रस्तावित स्टोन केशर को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है।

तथा मा० एन०जी०टी० द्वारा आदेशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा स्थापित/संचालित स्टोन केशरों के आसपास क्षेत्र का सर्वे कर निम्न स्थलों पर वायु गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु निर्धारित किये हैं। स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण दिनांक 21 व 22 जून 2022 को किया गया है। विश्लेषण आख्या मानको के अनुरूप है।

S.No	Sampling Location point	RSPM Pm 10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nox ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	टिप्पणी
1	Govt Modern School Vill-Papdi, PO- Peerumadara Ramnagar, Nainital	72.5	6.1	21.96	संलग्नक-119
2	Kulwant Singh House, Vill- Jeevanandpur PO- Peerumadara Ramnagar, Nainital	74.4	6.2	22.26	संलग्नक-120
3	Brijesh Hospital, Kashipur Road, Ramnagar	89.6	7.4	24.6	संलग्नक-121
4	Pushkar Pant & Hardware Store, Dhela Road Chorpani, Ramnagar, Nainital	77.6	6.9	23.05	संलग्नक-122
5	Standards	100	80	80	24 Hours


①










क्र० सं०	इकाई का नाम	कमियों के आधार पर की गयी संस्तुति
1	अशोक स्टोन केशर ग्राम- चोरपानी तहसील-रामनगर, जिला-नैनीताल।	<ol style="list-style-type: none"> इकाई द्वारा अनुज्ञा नीति-2021 के अनुसार हरित पट्टिका की स्थापना सुनिश्चित की जाए। इकाई द्वारा निर्गत सहमति शर्तों के अनुसार उत्पादन तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का इन्टरलॉकिंग सुनिश्चित किया जाए। इकाई द्वारा जल आपूर्ति हेतु Tamper Proof इलैक्ट्रॉनिक मीटर लगा कर की खपत हेतु लॉगबुक की व्यवस्था करना सुनिश्चित की जाए।
2	मै० पन्नू स्टोन केशर ग्राम- सोबनपुर तहसील- रामनगर जिला-नैनीताल।	<ol style="list-style-type: none"> इकाई में प्रयुक्त जल हेतु संबंधित विभाग(सीजीडब्ल्यू) आवश्यक अनुमति तथा जल खपत हेतु लॉग बुक मैनटेन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इकाई में जनित होने वाले पानी की पुनः प्रयोग हेतु उपयुक्त सेलटिंग टैंक की स्थापना सुनिश्चित की जाए। इकाई द्वारा अनुज्ञा नीति-2021 के अनुसार हरित पट्टिका की स्थापना सुनिश्चित की जाए। इकाई द्वारा सहमति शर्त के अनुसार उत्पादन तथा वायु प्रदूषण व्यवस्था के साथ इन्टरलॉकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इकाई द्वारा डी०जी० सेट के साथ संलग्न चिमनी मानको के अनुरूप ऊँचाई सुनिश्चित की जाए। इकाई में उपखनिज का भण्डारण चार दिवारी से नीचे किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3	मै० बदेशा स्टोन केशर ग्राम- जीवानंद पुरपीरुमदारा तहसील- रामनगर, जिला-नैनीताल।	<ol style="list-style-type: none"> इकाई में प्रयुक्त जल हेतु संबंधित विभाग(सीजीडब्ल्यू) आवश्यक अनुमति तथा जल खपत हेतु लॉग बुक मैनटेन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इकाई में जनित होने वाले पानी की पुनः प्रयोग हेतु उपयुक्त सेलटिंग टैंक की स्थापना सुनिश्चित की जाए। इकाई द्वारा अनुज्ञा नीति-2021 के अनुसार हरित पट्टिका की स्थापना सुनिश्चित की जाए। इकाई द्वारा सहमति शर्त के अनुसार उत्पादन तथा वायु प्रदूषण व्यवस्था के साथ इन्टरलॉकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इकाई द्वारा डी०जी० सेट के साथ संलग्न चिमनी मानको के अनुरूप ऊँचाई सुनिश्चित की जाए। इकाई में उपखनिज का भण्डारण चार दिवारी से नीचे किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4	मै० गुरु हर राय स्टोन केशर ग्राम- सोबनपुर तहसील- रामनगर, जिला-नैनीताल।	<ol style="list-style-type: none"> इकाई द्वारा प्लांट के अन्दर क्षतिग्रस्त सभी मार्ग पक्के किये जाए। इकाई में प्रयुक्त जल हेतु संबंधित विभाग(सीजीडब्ल्यू) आवश्यक अनुमति तथा जल खपत हेतु लॉग बुक मैनटेन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इकाई में जनित होने वाले पानी की पुनः प्रयोग हेतु उपयुक्त सेलटिंग टैंक की स्थापना सुनिश्चित की जाए। इकाई द्वारा अनुज्ञा नीति-2021 के अनुसार हरित पट्टिका की स्थापना सुनिश्चित की जाए। इकाई द्वारा सहमति शर्त के अनुसार उत्पादन तथा वायु प्रदूषण व्यवस्था के साथ इन्टरलॉकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इकाई द्वारा डी०जी० सेट के साथ संलग्न चिमनी मानको के अनुरूप ऊँचाई सुनिश्चित की जाए। इकाई द्वारा स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट का संचालन बिना संचालनार्थ सहमति/ प्राधिकार प्राप्त किये ना किया जाए। इकाई में उपखनिज का भण्डारण चार दिवारी से नीचे किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5	मै0 महाबली स्टोन केशर, प्रा0 रामनगर जिला-नैनीताल।	<ol style="list-style-type: none"> 1. इकाई में प्रयुक्त जल हेतु संबंधित विभाग(सीजीडब्लूए) आवश्यक अनुमति तथा जल खपत हेतु लॉग बुक मैन्टेन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 2. इकाई में जनित होने वाले पानी की पुनः प्रयोग हेतु उपयुक्त सेलटिंग टैंक की स्थापना सुनिश्चित की जाए। 3. इकाई द्वारा अनुज्ञा नीति-2021 के अनुसार हरित पट्टिका की स्थापना सुनिश्चित की जाए। 4. इकाई द्वारा सहमति शर्त के अनुसार उत्पादन तथा वायु प्रदूषण व्यवस्था के साथ इन्टरलॉकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 5. इकाई द्वारा स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का संचालन बिना संचालनार्थ सहमति/प्राधिकार प्राप्त किये ना किया जाए। 6. इकाई में उपखनिज का भण्डारण चार दिवारी से नीचे किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6	मै0 न्यू रामनगर स्टोन केशर, रामनगर नैनीताल।	<ol style="list-style-type: none"> 1. इकाई में प्रयुक्त जल हेतु संबंधित विभाग(सीजीडब्लूए) आवश्यक अनुमति तथा जल खपत हेतु लॉग बुक मैन्टेन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 2. इकाई द्वारा अनुज्ञा नीति-2021 के अनुसार हरित पट्टिका की स्थापना सुनिश्चित की जाए। 3. प्लांट में स्थापित विन्ड ब्रेकिंग वॉल को मानको के अनुरूप पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 4. इकाई द्वारा सहमति शर्त के अनुसार उत्पादन तथा वायु प्रदूषण व्यवस्था के साथ इन्टरलॉकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 5. इकाई द्वारा डी0जी0 सेट के साथ संलग्न चिमनी मानको के अनुरूप ऊँचाई सुनिश्चित की जाए। 6. इकाई में उपखनिज का भण्डारण चार दिवारी से नीचे किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
7	मै0 ए0बी0 कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-उदयपुरी बन्दोबस्ती, रामनगर (स्क्रीनिंग प्लांट)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्लांट में स्थापित विन्ड ब्रेकिंग वॉल को मानको के अनुरूप पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 2. इकाई में प्रयुक्त जल हेतु संबंधित विभाग(सीजीडब्लूए) आवश्यक अनुमति तथा जल खपत हेतु लॉग बुक मैन्टेन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 3. इकाई में जनित होने वाले पानी की पुनः प्रयोग हेतु उपयुक्त सेलटिंग टैंक की स्थापना सुनिश्चित की जाए। 4. इकाई द्वारा अनुज्ञा नीति-2021 के अनुसार हरित पट्टिका की स्थापना सुनिश्चित की जाए। 5. स्क्रीनिंग प्लांट द्वारा राज्य स्टोन केशर नीति-2021 के अनुसार Ducting and Scrubbing System की स्थापना की जाए। 6. इकाई द्वारा सहमति शर्त के अनुसार उत्पादन तथा वायु प्रदूषण व्यवस्था के साथ इन्टरलॉकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 7. इकाई द्वारा डी0जी0 सेट के साथ संलग्न चिमनी मानको के अनुरूप ऊँचाई सुनिश्चित की जाए। 8. इकाई में उपखनिज का भण्डारण चार दिवारी से नीचे किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8.	मै0 तेग प्रकाश स्टोन केशर-सोबनपुर तहसील-रामनगर।	ग्राम-सोबनपुर तहसील-रामनगर, जिला- नैनीताल में मै0 तेग प्रकाश स्टोन केशर नाम से स्टोन केशर स्थापित/संचालित नहीं है।
9.	मै0 तेग बहादुर स्टोन केशर-कन्दला तहसील-रामनगर।	स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना स्टोन केशर स्थापित न किया जाए एवं संचालन से पूर्व अनुज्ञा नीति-2021 में उल्लेखित सभी नियमों एवं पर्यावरणीय मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।








10.	मै0 कटारिया स्टोन केशर- ग्राम- पापडी तहसील-रामनगर।	संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना स्टोन केशर संचालित न किया जाए एवं संचालन से पूर्व अनुज्ञा नीति-2021 में उल्लेखित सभी नियमों एवं पर्यावरणीय मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
11.	मै0 पीरूमदारा स्टोन केशर- ग्राम-पापडी तहसील-रामनगर।	स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना स्टोन केशर स्थापित न किया जाए एवं संचालन से पूर्व अनुज्ञा नीति-2021 में उल्लेखित सभी नियमों एवं पर्यावरणीय मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
12.	मै0 केसरी नंदन मिनरल्स ग्राम- उदयपुरी बंदोबस्ती तहसील- रामनगर।	स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना स्टोन केशर स्थापित न किया जाए एवं संचालन से पूर्व अनुज्ञा नीति-2021 में उल्लेखित सभी नियमों एवं पर्यावरणीय मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
13.	मै0 गुरुनानक स्टोन इंडस्ट्रीज- ग्राम- पापडी तहसील-रामनगर।	स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना स्टोन केशर स्थापित न किया जाए एवं संचालन से पूर्व अनुज्ञा नीति-2021 में उल्लेखित सभी नियमों एवं पर्यावरणीय मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
14.	मै0 एक ओंकार स्टोन इंडस्ट्रीज- ग्राम- वीरपुर तहसील-रामनगर।	स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना स्टोन केशर स्थापित न किया जाए एवं संचालन से पूर्व अनुज्ञा नीति-2021 में उल्लेखित सभी नियमों एवं पर्यावरणीय मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
15.	मै0 रिद्धि शिधि स्टोन केशर- ग्राम-उदयपुरी बंदोबस्ती तहसील-रामनगर।	स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना स्टोन केशर स्थापित न किया जाए एवं संचालन से पूर्व अनुज्ञा नीति-2021 में उल्लेखित सभी नियमों एवं पर्यावरणीय मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
16.	मै0 बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज- उदयपुरी	स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना स्टोन केशर स्थापित न किया जाए एवं संचालन से पूर्व अनुज्ञा नीति-2021 में उल्लेखित सभी नियमों एवं पर्यावरणीय मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

निरीक्षण के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि रामनगर क्षेत्र में पूर्व में स्थापित स्टोन केशरों व प्रस्तावित स्टोन केशरों के आसपास कृषि भूमि आवासीय भवन, व्यवसायिक प्रतिष्ठान के साथ-साथ अन्य उद्योग अवस्थित है। किसी भी आवासीय भवन, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, नदी, वन से स्टोन केशरों की न्यूनतम दूरी निर्धारित करने के संबंध में सुझाव है कि इस हेतु राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठान यथा- नीरी (NEERI)-नागपुर, National Productive council (NPC) से विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर रिपोर्ट प्राप्त कर साईट की उपयुक्ता निर्धारित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।


(हरिश चन्द्र जोशी)
सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी
यू0के0पी0सी0बी हल्दानी


(विपिन चन्द्र पंत)
तहसीलदार रामनगर


(डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीयअधिकारी
यू0के0पी0सी0बी हल्दानी


(श्री राजपाल लेघा)
अपर निदेशक
भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, देहरादून


स्वेतिक
यू0के0पी0सी0बी हल्दानी


(श्री गौरव चटवाल)
उपजिलाधिकारी, रामनगर

Item No.4

(Court No. 2)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH**

(By Video Conferencing)

Original Application No. 396/2022

Gopal Chandra Vanwassi

Applicant

Versus

SDM, Ramnagar

Respondent

Date of hearing: 27.05.2022

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER****ORDER**

1. Mr. Gopal Chandra Vanwassi son of Madan Ram resident of Ward No.13, Valejaly Lodge Bhotiyapadaav Peerumdara, Tehsil Ram Nagar District Nainital Uttarakhand has filed the present application complaining that 16 stone Crushers, particulars regarding the names and addresses of which have been given in the application, are being run in Ram Nagar, Peerumdara, Papdi Tehsil-Ramnagar District Nainital in violation of environmental norms, rules and regulations.

2. The factual averments made in the application require due verification and immediate remedial action by the concerned authorities. Accordingly, we constitute a Joint Committee of State PCB and District Magistrate, Nainital, and direct the Joint Committee to meet within four weeks, undertake site visits to all 16 Stone Crushers, look into the grievances of the applicant and take remedial action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and Action Taken Report may cover all relevant

B

ST

de

N

Bant

1

aspects including siting criteria, compliance with consent conditions, installation and functioning of pollution control measures. Factual and Action Taken Report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 17.08.2022

A copy of this order along with a copy of the application be forwarded to the State PCB & District Magistrate, Nanital by e-mail for compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

May 27, 2022
Original Application No. 396/2022
AG

6

dy

→

2

AG

he

Phone-74665

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दफ्तर का पता: 257, जनकपुरी, बरेली-243122

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Regional office : 257 Janakpuri, BAREILLY-243122

दिनांक 5.8.86
Dated

No. 243/NOC-398, 6-4
M/S Ashok Stone Crusher,
C/O Ashok Kumar Agarwal,
Indian Oil Dealer,
B.P. Nagar, Distt. Nainital.

SUBJECT:- N.O.C. FROM POLLUTION ANGLE FOR SETTING UP OF YOUR SMALL SCALE INDUSTRY FOR THE PRODUCTION CRUSHING OF 100 TON STONE PER DAY AT WIL, CHORPANE, BANNAGER DISTT. NAINITAL AFTER INSTALLATION OF EFFLUENT TREATMENT PLANT AND AIR POLLUTION CONTROL ARRANGEMENTS.

Sir,
Please refer to your application dated 19.7.86 on the subject noted above and subsequent correspondence in this regard. The No Objection Certificate, solely for the aspect of pollution control, is hereby issued to you for the production crushing of 100 Ton Stone per day subject to the strict compliance of the following conditions.

- The actual conditions (attached as annexure-I) as applicable to your industry shall be observed.
- The actual production capacity of your industry shall not exceed crushing of 100 Ton Stone per day.
- Sludge shall be disposed as not to cause any subsequent problem of water, air or soil pollution.
- You will be responsible for any loss to nearby agriculture or human health caused by any leakage or emissions from your industry.
- You will not discharge any kind of trade effluent outside your factory premises.
- You will not use any kind of fuel in your industry.
- You will develop green belt at maximum available area around your factory.
- You will keep all safety measurements in your industry.
- You will submit a certificate of land use within 3 months.

Yours faithfully

[Signature]

[K. K. Sharma]
Regional Officer
Pollution Control Board, Lucknow,
The District Industries Centre, Baldwani, Nainital.

/NOC-398/86-

Copy to:-

- The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
- The District Industries Centre, Baldwani, Nainital.

Verified from Original

[Signature] - Executive Commercial Complex - Aligarh - Lucknow

[P. N. Tandon]
A. S. E.

[Handwritten signatures and initials]

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
मोपालपानी, देहरादून।

संख्या : /स्टो0क्रे0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/चम्पावत/2021-22,

दिनांक 30 सितम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वरराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 के उप बिन्दु 2 में संशोधन किया गया है कि:- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी। परन्तु वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा0 न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति में निर्धारित मानकों/प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपन (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण/जाँच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा। शासन के पत्र संख्या 1551/VII-A-1/2021-68 रिट/08 टीसी-1, दिनांक 08 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 में उक्तानुसार किये गये प्रावधान के सफल एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल लेधा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 2055/खनन/भू0खनि0ई0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश नीतिगत समस्त नियमों का पालन कराते हुए नवीनीकरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को एतद्वारा अधिकृत किया गया है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 69/भू0खनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/नैनीताल/2021-22, दिनांक 28 सितम्बर 2021 के द्वारा मैसर्स अशोक स्टोन क्रेशर, ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.812 हे0 भूमि में पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 19 सितम्बर 2021 आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

मैसर्स अशोक स्टोन क्रेशर, ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल में उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या जी0-873/NOC-398/86, दिनांक 05 अगस्त 1986 द्वारा 100 टन प्रतिदिन क्षमता के स्टोन क्रेशर संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गयी। कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 1518/30 जी0सी0/2016-17, दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा प्लांट स्वामी के पक्ष में ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के खाता सं0 30 के खसरा सं0 212 मि0 रकबा 0.812 हे0 भूमि में कुल 59.580 घनमीटर प्रतिवर्ष उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञापति 05 वर्ष की अवधि या संचालन/अनुज्ञा की अवधि तक आदेश में वर्णित शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।

वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति, 2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर प्लांट की क्रसिंग क्षमता 80 टन प्रति घंटा आणवित होती है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वरराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार

(B)

4

—

W

—

9

प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या-9 में उल्लिखित गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या 69/भूखनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/नैनीताल/2021-22, दिनांक 28 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 उप बिन्दु 2 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत मैसर्स अशोक स्टोन क्रेशर, ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम चोरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.812 है० भूमि में पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा का मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 19 नवम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाता है:-

शर्तें :

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (15) की अनुपालना मा० न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
3. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
4. नीति के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 (1) के अनुसार अवशेष शुल्क रू० 19,80,000/- (रुपये उन्नीस लाख अस्सी हजार मात्र) नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड/अपडेट किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा० न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
6. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रशड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रू० 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लांट में छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू० 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटाईज्ड धर्मकाटा एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकार्डिंग की सी०डी० प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।
8. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।

①

dyg

—

v

Shant

10. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 6 (ड.) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
11. वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर प्लांट की क्रसिंग क्षमता 80 टन प्रति घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $90 \times 80 \times 10 = 72,000$ टन तथा वर्षाकाल से भिन्न अवधि अर्थात् (अक्टूबर से जून) तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $45 \times 80 \times 10 = 36,000$ टन होती है तथा वर्ष में 2,88,000 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।
12. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रिनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।
13. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
14. यदि प्लांट स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट के नवीनीकरण की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
15. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 906/VII-I/2020/158 ख-04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
17. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक।

संख्या: 2266 / स्टो0क्रै0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/पि0/2021-22, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to Operate देने से पूर्व कराने का कष्ट करें।
5. उपनिदेशक (खनन)/नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
6. मैसर्स अशोक स्टोन क्रेशर, ग्राम चौरपानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।

30/9/2021
(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक।

Ⓟ


शुभ

—

२

शुभ

मे



[7]

घोषित प्लॉट की सन्तति के अनुसार प्लॉट स्वामी द्वारा विनियमितकरण हेतु आवेदन निम्नलिखित विनियमितकरण शुल्क के साथ महानिदेशक द्वारा प्रेषित अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त विनियमितकरण जिला स्तर अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक द्वारा किया जाएगा।

विनियमितकरण शुल्क नीति में उल्लिखित अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत होगा। जिसका 01 प्रतिशत विनियमितकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने समय तथा शेष 99 प्रतिशत राशियन द्वारा विनियमितकरण आदेश जारी के उपरान्त तथा ई-रकना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखासीर्षक-0253 अर्थात् पानु खान एव सचुकरम तयाम में जमा करना होगा। निदेशकतय द्वारा विनियमितकरण आदेश जारी होने के उपरान्त यदि प्लॉट स्वामी द्वारा विनियमितकरण शुल्क को अवशेष 99 प्रतिशत परतर्फी 01 माह के अन्तर्गत जमा नहीं कराया जाता है तो प्लॉट का ई-रकना पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।

नीति की धीमता के 03 माह बाद ई-प्रपत्र "जे" संवत् विनियमित प्लॉट को ही जारी किये जाएंगे।

नवीनीकरण 16. स्वामि/सकलित स्टीन कंकर/स्वीमिंग प्लॉट की अनुज्ञा का नवीनीकरण निम्नवत् किया जाएगा-


- (1) स्टीन कंकर/स्वीमिंग प्लॉट एव प्लॉट परिसर में उपरनिर्दिष्ट के माध्यम से नवीनीकरण हेतु आवेदन निम्नलिखित प्रपत्र **अनुसूची-3** में उल्लिखित अभिलेखा सहित किया जाएगा।
- (2) नवीनीकरण प्रस्ताव/आवेदन का स्वतंत्र निरीक्षण महानिदेशक द्वारा प्रेषित जिला स्तरीय अधिकारी एव पर्यावरण संरक्षण एव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा स्वतंत्र निरीक्षण की वीडियोचलनी सहित संस्तुति सहित अथवा **अनुसूची-4** जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगी, जिसे जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति सहित अथवा महानिदेशक, भूतल एव सचिकरम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगी। अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश जिलाधिकारी तथा महानिदेशक की संस्तुति पर राशियन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु माध्यम सहित स्वीकृत किया जाएगा।
- (3) प्लॉट के नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा शुल्क नवीनीकरण की स्वीकृति होने के उपरान्त ई-रकना जारी होने से पूर्व आवेदक द्वारा निर्धारित लेखासीर्षक में जमा किया जाना होगा, जो नीति में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा।
- (4) पूर्व से स्वीकृत/सकलित स्टीन कंकर एव स्वीमिंग प्लॉट को इस नीति में उल्लिखित दूरी एव संरक्षण के मानकों को छोड़कर अन्य मानकों को अवशेष दशा में 03 माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

नाम परिवर्तन/भागीदारों के नाम परिवर्तन/अनुज्ञा हस्तांतरण 17. (1) स्टीन कंकर एव स्वीमिंग प्लॉट का नाम व प्लॉट स्वामी के नाम का परिवर्तन या घटाने के लिये जोड़ने व घटाने जाने/अनुज्ञा का हस्तांतरण हेतु आवेदन अवशेष अभिलेखा एव निम्न अनुसूची शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जिलाधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लॉट का नाम/प्लॉट स्वामी का नाम/घटाने के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुसूची महानिदेशक, भूतल एव सचिकरम की संस्तुति पर राशियन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुसूची शुल्क निम्नानुसार देय होगा-

Y



B
 H
 A
 H
 B
 H



Ⓟ

संग

दे

१२

संग दे




13

14

15

16

17



①

श्री


→

२

श्री

318 RPP/PPA

मोबाइल नं. 0



Chorpani, Uttarakhand, India
94R5+C9V, Chorpani, Uttarakhand 244715, India
Lat 29.39142°
Long 79.10757°
21/06/22 01:03 PM

११

—

२

३



1

2

3

4



Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awasth Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- 1 Report No. AAQM/HLD/25/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Ashok Stone Crusher
Chorpani, Ramnagar
Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 21.06.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. Praveen Arya MA

OBSERVATION

Parameter	Monitoring Location	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Suspended Particulate Matter (SPM)	About 10 meter from crushing unit.	519.8	600


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer













REGIONAL OFFICE
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Awasth Vikas Colony, Haldwani, Nainital

Phone : 05946-221532, Fax : 05946-225618 Web : www.uppcb.org E-mail : ru.haldwani@gmail.com

संलग्नक - 11
46

UKPCB/HO/Con- **A-16** /2021/ **1613-690**

Date:

26/11/21

To.

M/s Ashok Stone Crusher,
Vill- Chorpani, Ramnagar
Dist: Nainital

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent authorization) (Fresh/Renewal/Reapplication/Expansion/) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-5" of the "Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

Consent No- 1042246

Date- 30/10/2021

This CCA is hereby granted to M/s Ashok Stone Crusher, Vill- Chorpani, Ramnagar, Dist- Nainital, subject to the provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. CCA is granted for a period upto 31/10/2026 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment / Net Assets Values under Slab 345.00 Lakhs

S. No.	Last CCA or CTE		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1.	Stone Grits Various Size	30000 MT	Stone Grits Various Size	30000 MT

2. Specific Conditions under Water Act:

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA	Present CCA (Renewal)
Trade Effluent	NIL	NIL
Sewage	NIL	0.5 (Zero Discharge)

(ii) Sewage Treatment and Disposal: The applicant shall provide comprehensive STP/Septic Tank as is required with reference to influent quantity and quality.

3. Conditions under Air Act:-

(i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1	DG Set 180 KVA	3.0	HSD	10 Ltr/Hr	Acoustic Enclosure with Stack	As per E(P)Act
Ambient Air Quality						
1.	Suspended Particulate matter (SPM)			Not to exceed		600µg/m ³

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

B

H

A

V

Pract du

Standards for Night Time in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. Conditions under HW Rules:-

- I. Number of authorization and date of issue :
- II. The Factory Manager of M/s Ashok Stone Crusher, Vill- Chorpani, Ramnagar, Dist- Nainital. is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
- III. The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.
- IV. The authorization shall be in force for a period upto 31.10.2026.
- V. The authorization is subject to the conditions stated below and such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	Schedule-I 5.1	0.010	Recycable

Terms and conditions of authorization:

- I. The authorization shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made there under.
 - II. The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.
 - III. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.
 - IV. Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
 - V. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.
 - VI. An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.
 - VII. Any other conditions for compliance as per the Guidelines issued by the MoEF or CPCB.
5. This CCA is valid only for manufacturing process of Different type of Stone Grits & Sand 3000MT/Month..
 6. Compulsory documents to be submitted by the Industry/ Unit:-
 - (i) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-10 under HW Rules and Third Party Audit Report.
 - (ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
 - (iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
 7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
 8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
 9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

Piu
Regional Officer(i/c)

Copy to: Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.

Piu
Regional Officer(i/c)

B

ST

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

OK
[Signature]
30/11/21



(B)

ह
र
र
र
र
र

कार्यालय अक्षांशरानी अतिरिक्त सा.
जोशी निवासिका हाण्ड-२, रायगड

पत्रांक:- २५११/अतिरिक्त-२ दिनांक २०/११/२०२२

विषय :- कार्यालय मंडळ ते पानो लेने वे स्वतंत्रता

संदर्भ :- जायत पत्रांक-२१-० दिनांक ४-१२-२१

अक्षांश रत्नने ड्रेसर, अक्षय कोरवाणी, रायगड


प्रमाण उपरोक्त विषयावर संदर्भित होत आहे. या संदर्भात
हसने का कष्ट आहे, कार्यालय मंडळ ते जायत होत ते पत्रांक ते पानो
गट जो द्याने या विषयावर वेतु पानो लेने जो स्वतंत्रता येते पत्रांक हो
जातो हे। ताची प्रवृत्तता न होईल।

[Signature]
अक्षांश रत्नने ड्रेसर
अक्षांश रत्नने ड्रेसर

पत्रांक:- अतिरिक्त

प्रतिनिधीप स्वायत्त अधिकाऱ्यावर, तृतीय जो मुंबईत आहे
जायत मंडळ कार्यवाही वेतु प्रेषित होईल।

[Signature]
अक्षांश रत्नने ड्रेसर
अक्षांश रत्नने ड्रेसर



③

AL

संलग्नक

१२

१२/०६/२२



मुख्यालय
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
“गौरा देवी पर्यावरण भवन”
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून-248001


पत्रांक-यूईपीसीबी/एचओ/एनओसी-7168/2019/ 1545

दिनांक 19.12.2019

सेवा में,

M/s Pannu Stone Crusher,
Vill-Sobanpur, Ramnagar,
Sobanpiur, Distt-Nainital.

Registered/AD



विषय :- पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2019 (INWARD : 244191 एवं तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सशर्त स्थापनार्थ सहमति पत्र निर्गत किया जाता है।

1- यह स्थापनार्थ सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल :	Vill-Sobanpur, Ramnagar, Sobanpiur, Distt-Nainital.
(ख) उत्पादन :	Stone Grits, Sand, Agreegrate of Diss.Sizes-24000 Ton /Year.
(ग) मुख्य कच्चे माल :	River Bed Material & StoneBoulders-24000Ton/Year
(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह :	Nil.
(ङ.) प्रयुक्त ईंधन :	Nil.

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापना हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवी तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CTO) प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति (CTO) प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विलुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।
- घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा 1.5 कि०ली०/दिन से अधिक नहीं होगी। जनित घरेलू उत्प्रवाह को सोकपिट के माध्यम से सेप्टिक टैंक में निस्तारित किया जाये।
- उद्योग द्वारा शून्य उत्प्रवाह का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- उद्योग प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक पर्यावरणीय वक्तव्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र दिनांक जारी होने की तिथि से 05 वर्ष तक की अवधि के लिए वैध होगा।
- उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये, कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
- उद्योग से जनित ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार निस्तारित किया जाये कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे।
- उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न हों। प्रदूषण सम्बन्धी जन-शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापनार्थ सहमति पत्र रिवोक कर दिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योगी का होगा।
- उद्योग परिसर में चारों तरफ कम से कम 3 कतारों वाली हरित पट्टिका विकसित की जाये। हरित पट्टिका हेतु सपन तथा खयादार वृक्षों का चयन किया जाये। हरित पट्टिका हेतु निर्धारित भूमि पर निर्माण कार्य न किया जाये।

- 13- उद्योग में जां क्रेशर व वाईब्रेटरी स्क्रीन में कचर्ड शेड की स्थापना की जाये।
- 14- उद्योग मे समस्त धूल जनित बिन्दुओं में जैसे क्रेशिंग, कन्वेयर बेल्ट आदि में धूल नियंत्रण हेतु उचित क्षमता के फव्वारों की स्थापना की जाये तथा परिसर में धूल नियंत्रण हेतु वियमित रूप से जल छिड़काव किया जाये।
- 15- उद्योग द्वारा मुख्य मार्ग से उद्योग परिसर एवं रैम्प तक Metalled Road का निर्माण किया जाये।
- 16- उद्योग परिसर के चारों तरफ भू-तल से वियमानुसार 15 फीट उंची विण्ड ब्रेकिंगवाल का निर्माण किया जाये तथा धूल नियंत्रण हेतु उचित क्षमता के रिप्रिंक्लर्स स्थापित किये जाये। किसी भी परिस्थिति में कन्वेयर एवं ड्रमों की ऊंचाई भू-तल से 13फीट से अधिक उंची न की जाये।
- 17- 360 व 125 के.सी.ए. क्षमता के जनरेटर रोटों में इक्वार्स्ट स्टैक की उंचाई मानकों के अनुरूप स्थापित की जाये एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकारिक्क इन्वलोजर्स की स्थापना की जाये।
- 18- उद्योग में पर्यावरण (संरक्षण) नियम-1986 के अन्तर्गत स्टोन क्रशिंग यूनिट हेतु निर्धारित मानकों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- 19- उद्योग में राज्य बोर्ड पूर्वानुमति के बिना अतिरिक्त प्लांट मशीनरी एवं डी.जी.सेट आदि की स्थापना कदापि न की जाये।
- 20- उद्योग द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्टोन केशर की स्थापना हेतु निर्गत अनुज्ञा में वर्णित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 21- उद्योग में स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, प्लवराइजर एवं मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा स्टोन केशर की स्थापना उक्त नीति के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाये।
- 22- यह स्थापनार्थ सहमति मात्र मद 1/ 'ख' में वर्णित उत्पाद हेतु मान्य है।
- 23- यह स्थापनार्थ सहमति जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। अन्य विभागों से भी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। उद्योग में जल अधिनियम-1974, वायु अधिनियम-1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 एवं उनके अन्तर्गत प्रख्यापित नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- 24- इंगित स्थल के विधिक भूमि उपयोग एवं वियमानुसार अन्य विभाग से वांछित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति (CoE) पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापनार्थ सहमति पत्र (Consent to Establish) की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 31.12.2019 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापनार्थ सहमति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

भवदीय

(एस.पी. सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

पृ० सं० एवं दिनांक/उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

②

★

→

१

Brat

h

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 1044/VII-1/2018/8-स्टोन क्रेशर/17
देहरादून : दिनांक: 2 वी फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्वामी प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, एट मिका प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2016 के अन्तर्गत निदेशक भूतक एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव क्र सं० 231, 232/मु०खनि०ई०/उध०/2018-17, दिनांक 17 जुलाई, 2017 एवं श्री अरविन्द गुसाई, पार्टनर, पन्नू स्टोन क्रेशर, ग्राम सोदनपुर, पी० पी०रामदारा, रामनगर, जनपद तेनीताल के पत्र दिनांक 8.11.2017 के क्रम में मै० पन्नू स्टोन क्रेशर, ग्राम सोदनपुर, तहसील रामनगर, जिला तेनीताल जो जिला तेनीताल, तहसील रामनगर, ग्राम सोदनपुर के क्षेत्र-नर्मात खस्ता सं० 51 व 53 मध्ये 5.10 एकड़ (2.024 हे०) भाग भूमि में 100 टन प्रति घंटा क्षमता का स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है -

1. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में कच्यमाल/तेषार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अपेक्ष, खनन, परिवहन एवं भण्डारण) का निवारण) नियमावली 2016 अध्यासशोधित, 2016 के अधीन करेगा।
2. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर प्लांट इक्विपमेंट का परिसर की बाहरीदीवारी के अन्दर स्थापित करेगा।
3. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लांट इकाई के बागे तथा बाहरीदीवारी के निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो सड़कनिर्माण के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० उंची होगी।
4. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा भण्डारण इकाई का सत्कारण एवं अधिकारी, भूतक एवं खनिकर्म इकाई एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा यदि कच्य माल/तेषार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन क्रेशर स्वामी पर 2 वी लाख तक का अर्थ उम्ह अधिसूचित किया जायेगा जो निर्धारित कानून/संस्थाधिकार में जमा कराया जायेगा।
6. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा सर्वत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन 600 µg/m³ से कम हो।
7. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा सर्वत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A) Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
8. स्टोन क्रेशर तथा कच्यार बैल्ड को covered shed तब के अन्दर स्थापित करना होगा, धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाये जाये।
9. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लांट के अन्दर के सभी भाग धुलक करने होंगे।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र में पूरे इलाके की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का निष्पत्ति छिड़काव करने की व्यवस्था कानी होगी, जिससे धूल हवा में न उठे।
11. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा धूल कणों भूमि को एकत्रित वाली प्रजातियाँ के पत्तों की हरित पट्टी का विकास कर उनको तब तक करना होगा, यथा वह पर्याप्त होती अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा वह पर्याप्त तब तक धूल कणों को समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ले जायेगी।
12. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में दिये गये दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
13. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र में स्क्रीनिंग, कच्यार आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers विकार की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का उत्सर्जन कम से कम हो।

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

14. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा फव्वारों के विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी, ताकि फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
15. कवर्ड टिन रोड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डाक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आईडी फोन के माध्यम से सक्रिय की जायेगी। सक्रिय में प्रदूषित जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
16. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा चेज क्रिस्ट के अनुसार स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा।
17. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा भाति, 2016, यथासंशोधित के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना होगा।
18. स्टोन क्रेशर को भण्डारण की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा स्टोन क्रेशर स्वामी को स्टोन क्रेशर संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

आनन्द बर्दान
प्रमुख सचिव

संख्या- 1044 (1)/VII-1/2018 त्रिभुवनगिरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी नैनीताल।

2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित भागकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व करीना सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, खनन मंत्रालय एवं खनिकाने इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तार्थित पत्र के सन्दर्भ में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मै० पन्नु स्टोन क्रेशर, ग्राम गोकुलपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।
5. गाई फाईल।

आज्ञा से
27-02/18
(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव

B

18

18

18

18

खनिज के भण्डार हेतु अनुज्ञप्ति
(नियम 9 देखिए)

संख्या

- 1- अनुज्ञप्तिधारक का पूरा नाम- मै0 पन्नू स्टोन केशर के पक्ष में ग्राम सोबनपुर, तहसील रामनगर जिला नैनी में स्वीकृत स्टोन केशर परिसर तथा उससे लगती हुई भूमि में उपखनिज भण्डारण किये जाने की अनुमति
- 2- अनुज्ञप्ति की अवधि:- 05 वर्ष यानि 27फरवरी 2023 (स्टोन केशर अनुज्ञा अवधि तक) ।
- 3- प्रत्येक समय की एक समय में 68,100 घनमीटर तथा प्रतिवर्ष 2,04,300/-घनमीटर ।
- 4- भण्डारण का प्रयोजन- कय विकय ।
- 5- खनिजों के भण्डार हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	मोहल्ला	अवस्थिति
नैनीताल	रामनगर	ग्राम -ग्राम सोबनपुर तहसील रामनगर जिला नैनीताल	ग्राम- ग्राम सोबनपुर तहसील रामनगर जिला नैनीताल	मै0 पन्नू स्टोन केशर के पक्ष में ग्राम सोबनपुर तहसील रामनगर जिला नैनीताल में स्वीकृत स्टोन केशर परिसर तथा उससे लगती हुए भूमि में उपखनिज भण्डारण की अनुमति ग्राम सोबनपुर तहसील रामनगर के खसरा नं 51 रकबा 1.483 है0, 53अ रकबा 0.585 है0 मध्ये 024 है0 55अ रकबा 0.091 है0 55व रकबा 0.079 है0 57मि0 रकबा 0.300 है0 तथा 59अ रकबा 0.333 है0 कुल रकबा 2.871 है0 है स्टोन केशर हेतु 2000 मीटर क्षेत्रफल को कम करते हुए स्टोन केशर परिसर भण्डारण हेतु कुल रकबा 2.671 है0 भूमि में से 15 प्रतिशत कम करते हुए 2.270 है0 में एक समय में 68,100 घनमीटर तथा प्रत्येक वर्ष 2,04,300 घनमीटर प्रतिवर्ष भण्डारण की अनुमति अनुज्ञा उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड जिला नैनीताल सि. हल्द्वानी के पत्रांक 1530 दिनांक 19.03.2018 के प्रस्त में संशोधन के अनुसार स्वीकृति ।

प्रतिबन्ध:-

- 1- भण्डारणकर्ता भण्डारित किये गये या निर्गमित किये गये खनिजों का लेखा-जोखा नियम-12(1) भण्डारण प्रेषण का लेखा रजिस्टर के अनुसार प्रपत्र क भण्डारण पर रखेगा और नियमावली 2005 के अ जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी या उपनिदेशक खनन की मॉग पर प्रस्तुत करेगा ।
- 2- उपखनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारक स्वयं द्वारा भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजों के सही की एक प्रति प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय, हल्द्वान उत्तराखण्ड (अवैध खनन परिवहन भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 संशोधित नियमावली 2015 के 12 के अनुसार प्रपत्र एल में प्रस्तुत करेगा । यदि आवेदक वर्णित शर्तों का अनुपालन नहीं करता भण्डारणकर्ता पर उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन परिवहन भण्डारण का निवारण) अधिनियम 2005 सं नियमावली 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
- 3- अनुज्ञप्तिधारक अपने भण्डारण को इस प्रकार से रखेगा कि भण्डारण करते एवं भण्डारण से उप खनिज उठाते समय किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना न हो । यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो पूर्ण उत्तरदायित्व भण्डारणकर्ता का होगा ।
- 4- अनुज्ञप्तिधारक को समय-समय पर राज्य सरकार एवं जिलाधिकारी तथा निदेशक/उपनिदेशक खनन, एवं खनिकर्म इकाई द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

- 5- भण्डारणकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्षा होने पर भण्डार किये गये उपखनिज जल प्रवाह आस-पास के भूमि को क्षति न होने देगा/इससे बचाव हेतु गारलैण्ड ड्रेन का निर्माण करेगा।
- 6- भण्डारणकर्ता द्वारा भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रॉनिक तोल मशीन स्वयं के व्यय से स्थापित करना अनिवार्य होगा।
- 7- भण्डारणकर्ता द्वारा सी0सी0टी0वी0 रिकार्डिंग सहित अपने व्यय से प्रवेश एवं निकासी द्वार पर लगाया ज अनिवार्य होगा तथा उसकी रिकार्डिंग संचित करेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत वि जायेगा।
- 8- भण्डारणकर्ता द्वारा उपखनिज की निकासी करने पर निकासी करने पर 1.00 प्रतिकुन्तल निर्धारित लेखाशीर्षव अतिरिक्त रूप से पर्यावरण एवं खजिन सम्पादा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- 9- भण्डारणकर्ता द्वारा भण्डारित एवं परिवहन किये गये उपखनिज के क्रय विक्रय एवं अवशेष खनिज आदि तं की सूचना 15 दिन में जिलाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग एवं उपनिदेशक खनन को प्रपत्र एल में प्रस्तुत वि जाना अनिवार्य होगा।
- 10- भण्डारित उप खनिज का परिवहन खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) अधिनियम 2004 नियम-5(2) अधीन निर्धारित प्रपत्र "जे" पर किया जायेगा।

दिनांक -27.06.2018

ह0/-
(विनोद कुमार सुमन)
जिलाधिकारी, नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या 1113/30 जी0सी0/2018-19

दिनांक 27 जून, 20

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिम वन प्रभाग रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
- 2- उपनिदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- उपजिलाधिकारी रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी, वि०,
नैनीताल।

17

17

17

17

17



(3)

Top

→

2

Part

✓




५१

५२

५३

५४

५५



सु
॥
२
अंत म

①


C
C



21
 11
 2
 2007
 21

2

21
 11
 2
 2007
 21



ⓑ

12

due

92

[Handwritten signature]

②




११ २२ ३३ ४४ ५५



ॐ

ॐ , ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ



Ud
B

श्री
ना
२
प्र
ह



Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awaz Vikas Colony, Haldwani (Nainital)

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- 1 Report No. AAQM/HLD/31/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Pannu Stone Crusher
Vill- Sobanpur, P.O- Peerumadara
Ramnagar, Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 22.06.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. C.B Joshi MA

OBSERVATION

Parameter	Monitoring Location	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Suspended Particulate Matter (SPM)	About 10 meter from crushing unit.	533.9	600


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer

6











I	D.G. Set (62.5 KVA) X1	2	HSD	-	Acoustic Enclosure
Ambient air quality					
I	Suspended Particulate matter (SPM)	Not to exceed			600µg/M ³

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

- (ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. Conditions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016:-

- (i) The Factory Manager of M/s Pannu Stone Crusher, Vill. Sobanpur, Ramnagar, Distt-Nainital is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
- (ii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes :-

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	Schedule I – 5.1	0.100	Recyclable

- (iii) The authorization shall be in force for the period upto 31.03.2026.
- (iv) The authorization is subject to the conditions stated below and the such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of authorization:-

- (i) The authorization shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made there under.
- (ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.
- (iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.
- (iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- (v) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.
- (vi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.
- (vii) The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the MoEF&CC or CPCB/SPCB from time to time.

5. This CCA is valid for Crushing & Screening process only.


6. Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-

-2-

- (i) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-10 under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and Third Party Audit Report.
 - (ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
 - (iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
 8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
 9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules


 OTC HOTS Member Secretary

Copy to :- Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani, Distt. Nainital for information and compliance of the same.


 OTC HOTS Chief Environment Officer

③

st

—

2

Print

dy

Specific Conditions:

1. The Unit shall strictly comply with the provisions of Water Act, Air & E(P) Act and Rules/Notifications made thereunder.
2. This CCA valid for crushing of raw material (River Bed Materials) obtained from legitimate sources only.
3. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
4. The unit shall not increase the production capacity as given in this CCA without prior Consent of the Board.
5. The industry shall strictly adhere with the specific and general conditions issued with CCA order. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules made thereunder.
6. The unit shall ensure all measures for pollution control as specified under the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules made there under. Unit shall comply with the standards stipulated for stone crushing Units under the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended time to time, so that ambient air quality not exceed prescribed limit at any time.
7. Unit shall provide wind breaking wall along the periphery of the premises.
8. Unit shall construct metallic road within premises.
9. Unit shall provide dust suppression/ containment system on all dust emitting sources /equipment.
10. Unit shall do regular wetting of the ground within premises.
11. Stone crusher shall be established inside the covered shed.
12. The unit shall provide green belt along the periphery.
13. Ducting system with ID fan to be provided for suction of dust and to be scrubbed with water. The water from scrubbing will be channelizing to settling tank. The water will be re-used for scrubbing.
14. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
15. The Stone Crushing units/Screening Plants/Pulverisers shall strictly follow the provisions of the *Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulviser Plants Hot Mix Plant, Ready mix Plant Anugya Policy, 2021* promulgated by the State Government and shall obtained necessary permission from the competent authority within stipulated time specified in *Anugya policy-2021*, as amended time to time.
16. The industry shall ensure all safety measures and shall undertake **periodical assessment** by the competent authority.
17. The unit shall not operate during night hours as defined under Noise Rules-2000.
18. This CCA is valid for raw materials obtained from legitimate sources, only.
19. Unit shall comply with Directions/Orders/Guidelines issued by Hon'ble Courts/Tribunal and/or Competent Authority from time to time in reference to Stone Crusher.
20. The applicant shall strictly avoid the usage of single use plastics in the premises as per the list of banned single use plastics mentioned in the notification of MoEF&CC, Government of India dated 12.08.2021 and notification of Uttarakhand Government issued vide letter no. 84/XXVIII-1-20-13(II)/2001 dated 16.02.2021.
21. The unit shall strictly adhere to provisions of Water Act, Air Act & E(P) Act and Rules/Notification made thereunder.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analyze the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UKPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is

- found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
4. The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
 5. The industry shall provide uninterrupted entry to Pollution Control equipment for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
 6. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
 7. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
 8. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
 9. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
 10. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
 11. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
 12. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the Board.
 13. Any unauthorized change in personnel, equipment as working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
 14. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility.
 15. The authorization is valid for temporary storage of Hazardous Waste within premises only.
 16. The authorized agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on Display Board of size 6x4 feet outside the main factory gate within premises.
 17. It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to close and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
 18. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed physical and chemical analysis of hazardous waste sample and report to the Board.
 19. The storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and 'Hazardous' shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
 20. The industry shall store used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be sold only to Registered Recyclers/Re-processors.
 21. In case of any transportation of hazardous waste, the details in Form-10 of the Hazardous & Other Wastes Rules, 2016 shall be submitted to the Board.

②

श्री

—

२

Board

Chief Environment Officer





Handwritten signature or initials in blue ink.

3

B

Handwritten signature or initials in blue ink.


1/1

2



e-Challan

संलग्न-३० Bank Ref. No. - CPABUINRU9

28
72

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch - State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed successfully.

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	PANNU STONE CRUSHER
2	Address	VILL. SOBANPUR, PEERUMADARA, RAMNAGAR, NAINITAL Uttarakhand 244715
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	Boundary wall fencing Challan
5	Gross value of Challan	200000
6	Net value of Challan	200000
7	Deaprtment	Director Industries
8	Related office for which challan is to be deposit	Dy Director Geology Mines Haldwani
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous mining and metallurgy industry
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below


SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	200000
Total Challan Amount-			200000

Amount (in words) - Rs. Two Lakh only

Signature of departmental officer with seal

PANNU STONE CRUSHER

Challan No- 08530622E0055317	Amount in Figure(Rs.) - 200000
Date - 28-JUN-2022	Amount in words - Rs. Two Lakh only
Received Through	
Bank Ref. No. - CPABUINRU9	
State Bank Of India (Payment Gateway)	



① स. क. - ५ अ. प्र.



ⓑ

72

line

2

Spot the

Q



12

13

14

Spot di

(ग) मुठर कच्चे माल :

स्टोन बील्डर

(घ) औद्योगिक उत्पादों की मात्रा :

रुप

(ङ) प्रयुक्त ईंधन :

रुप

उपरोक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनुमति प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 2- उद्योग में सभी आवश्यक गन्ध, संयंत्र, हरित पेंटिंग, उत्पादक युक्तिकरण यंत्रणा तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था भी उद्योग में की गयी प्रगति रिपोर्ट्स इस कार्यालय में प्रत्येक माह की तैयारी तारीख तक निरंतर देवित करें।
- 3- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह जोई में जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जब एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों की उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अपरब ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के चिकित्सक बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्रवाई भी जा सकता है।
- 4- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हवाई क्षेत्रीय आयोग द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

①

12

→

2

[Handwritten signature]

- 5- परेजु छात्रवाह, जितकी मात्रा..... $\frac{1 \text{ कि०सी०}}{\text{दिन}}$के अधिक नहीं होगी।
सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोंडें द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत
कर निस्तारित किया जाय।
- 6- प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिनांक 10/11/2019 तक आवश्यक प्रस्तुत की जाए।
1.10.19
- 7- उद्योग के स्थल का भू-प्रयोग प्रमाण पत्र (GUP-1/43, जेड०आर०एल० के तहत) दो माह के
अन्दर प्रस्तुत करे।
- 8- स्टीम डिपार कमरना स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण
कार्य प्रारम्भ करे तथा अनुमोदन की प्रस्तावित छाया प्रति-बोर्ड मुख्यालय में भी प्रस्तुत करे।
- 9- उद्योग परिसर में समस्त छानियाँ विन्दुओं पर समुचित क्षमता के रिजर्वर स्थापित किये जाये
10- एवं अनवरत संभालन में रखा जाये। उद्योग परिसर में रिजर्वर के स्थापना के लिए निम्न
प्रमाणों को जाये। पानी के फव्वारे संभालन तथा उपचयन प्रक्रिया को सुदृढीकरण के लिए जाये।
- 10- उद्योग परिसर में समस्त छानियाँ विन्दुओं पर समुचित प्रकार के दोहरा बनाये जाये। मुख्य सड़क से उद्योग को
जाने वाली सड़क को भी मेटलड किया जाये तथा उद्योग परिसर में मेटलड रोड बनाई जाये।
- 11- उद्योग परिसर में चारों तरफ इतनी ऊँची विन्ड डेकिंग बाल बनाई जाये कि उद्योग से जलित
9- धूल बाहर न जाने पाये।
- 12- उद्योग का संभालन इस प्रकार किया जाये कि एन्वीरोन्ट वायु गुणवत्ता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों
के अनुरूप रहे। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निर्धारित मानक (संलग्नक-
1) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 13- उद्योग परिसर में चारों तरफ कम से कम 40 मीटर चौड़ी हरित भट्टिका विधायित की जाये
10- हरित भट्टिका हेतु सघन तथा छायादार वृक्षों का चयन किया जाये। हरित भट्टिका हेतु
निर्धारित भूमि पर निर्माण कार्य अथवा कच्चे माल एवं ड्रेजिन्ट को भण्डारण हेतु न किया जाये।
- 14- उद्योग में बोर्ड के अनुमति के बिना क्षमता विस्तारण कार्य न किया जाये।
- 15- उद्योग परिसर में ही कच्चे माल एवं ड्रेजिन्ट का भण्डारण किया जाये।
- 16- कच्चे माल को आपूर्ति के लिए सम्बन्धित विभाग से अनुमति प्राप्त करे, ताब इसके स बोर्ड
को अवगत कराये।
- 17- ज्योडोगिक प्रक्रिया से जलित ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण कानून की जाये एवं पूर्ण प्रस्ताव
बोर्ड मुख्यालय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे।
- 18- यह के साथ संलग्न ई०पी०ए० नोटिफिकेशन जी०एफ०आर० 1/42(ई) दिनांक 10 अगस्त
11/10 भी जारी का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे।

B

A

A

A

A

A

Handwritten signature

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त विहित विधिगत नती एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निम्न अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपरोक्त विधिगत एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा इस कार्यालय में दिनांक..... तक प्रथम अनुपालन भावना अवगत प्रेषित की जाए। अनुपालन भावना निषण्ण प्रेषित की जाए अथवा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

(*Handwritten signature*)
सदस्य सदस्य

पृष्ठांक सं०	एन०ओ०सी०	तद दिनांक
अतिरिक्ति :		
1-		
2-	नद्यासबन्ध, जिला उद्योग केंद्र	मैथिलस
3-	मुख्य पर्यावरण अधिकारी/पर्यावरण अभियन्ता/उपकर अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।	
4-	नोडल अधिकारी (संगणक), संगणक अनुभाग, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।	
5-	क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण बोर्ड	इच्छानी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी/पर्यावरण अभियन्ता
(सकिम- एक)

ⓑ

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

आदेश

उपनिदेशक खनन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड जिला टास्क फोर्स नैनीताल स्थित हल्द्वानी के पत्रांक 618/भू0 खनि0ई0/ स्टोन कशर/2016-17 दिनांक 08.सितम्बर 2016 के क्रम में मैसर्स बदेशा स्टोन केशर द्वारा ग्राम जीवानन्दपुर तहसील रामनगर जिला नैनीताल में स्थापित स्टोन केशर नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा अपने उक्त स्टोन केशर नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन शुल्क रु0 1,00,000/- (एक लाख मात्र) चालान संख्या 09 दिनांक 13.जुलाई 2016 के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में भारतीय स्टेट बैंक रामनगर में जमा करा दिया गया है। आवेदक द्वारा समाचार पत्र उत्तर उजाला के दिनांक 02.अगस्त 2016 को विज्ञापित प्रकाशित की गयी है। उक्त स्टोन केशर नवीनीकरण हेतु उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट तथा पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति-2015 यथा संशोधित उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के पत्र संख्या 1231/ VII-1/2016/68 दिट/2008 दिनांक 19.मई 2016 के अनुसार गठित समिति द्वारा उपजिलाधिकारी रामनगर एवं उपनिदेशक खनन द्वारा स्थल का संयुक्त निरीक्षण आज दिनांक 06.09.2016 को किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नानुसार है।

उक्त स्थल पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड "पिकप भवन" तृतीय तल, बी ब्लॉक, विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ के पत्र संख्या Go 6026/C-1/NOC/ दिनांक 05.10.2007 के द्वारा मैसर्स बदेशा स्टोन केशर द्वारा श्री अमरीक सिंह (पार्टनर) ग्राम जीवानन्दपुर पो0ओ0 पीरूमदार रामनगर जनपद नैनीताल के खसरा नं0 119 एवं 121 में स्टोन केशर स्थापित करने हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति दी गयी है। उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट तथा पल्वराईजर मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति 2015 के प्रस्तर-5 के अनुसार उक्त स्टोन केशर में पूर्व से स्थापित उग से राजस्व विभाग के अनुसार नदी के किनारे से 300 मीटर से अधिक बर्साती नदी नाला, गधेरा, के किनारे से 50मीटर से अधिक धार्मिक स्थल (मन्दिर,मस्जिद,गुरुद्वारा चबूतरे आदि) 300 मीटर से अधिक स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम से 300 मीटर से अधिक दूरी पर एवं कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के वन संरक्षक/प्र0ओ0, तराई पश्चिमी वन प्रभाग के पत्रांक 187/9-2 (2) नांक 19.07.2016 के पत्र द्वारा उक्त स्टोन केशर वन सीमा से 100 मीटर से अधिक तथा नदी से एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। उक्त स्थापित स्टोन केशर के उत्तर में पीरूमदार- रामनगर रिंग रोड, दक्षिण में स्वयं की भूमि ताकि स्वं के लेबर क्याटर्स, पूरब में वन भूमि, तथा पश्चिम में स्वयं के परिवार वालों की भूमि तथा स्वयं के गौशाला एवं स्वयं के आवासीय मकान जो 300 मीटर से अधिक की दूरी पर है। उक्त स्थल के चारों तरफ बाऊण्ड्री वाल स्थित है।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र ट्रेजरी चालान विक्रीकर अधिकारी द्वारा निर्गत पंजियन पत्र की प्रति, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई- 115, नेहरू कालोनी देहरादून द्वारा क्षमता विस्तारीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र, पार्टनरशिप डीड की छायाप्रति फर्म का पैन नम्बर की प्रति, पार्टनर श्री अमरीक सिंह, श्री कृपाल सिंह एवं श्री रेशम सिंह के पैन नम्बर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र की छायाप्रतियाँ नवीनीकरण किये जाने हेतु पार्टनरों द्वारा दी गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति खाता खतांनी, क्षेत्रीय पटवारी द्वारा चिन्हित किया गया खसरा मानचित्र की प्रति तथा क्षेत्रीय पटवारी द्वारा दी गयी भूमि का विवरण साईड प्लान तथा विज्ञापित संलग्न है। उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट तथा पल्वराईजर मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति- 2015 यथा संशोधन 19 अगस्त 2016 के अनुसार मैसर्स बदेशा स्टोन केशर ग्राम जीवानन्दपुर तहसील रामनगर जिला नैनीताल में 10.06 एकड़ भूमि में स्थापित स्टोन केशर नवीनीकरण हेतु संस्तुति की है।

अतः उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय जिला टास्क फोर्स नैनीताल स्थित हल्द्वानी के उक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या पत्रांक 618/भू0खनि0ई0/ स्टोनकशर/2016-17 दिनांक 08.सितम्बर 2016 एवं उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1231/VII-I /2016/68-रिट/2008 दिनांक 19.अगस्त 2016 के क्रम में मैसर्स बदेशा स्टोन केशर ग्राम जीवानन्दपुर तहसील रामनगर जिला नैनीताल को स्थापित स्टोन कशर अनुज्ञा नवीनीकरण अनुमति 05 वर्ष हेतु दी जाती है।

DynamicPDF

80/-
(दीपक रावत)
जिलाधिकारी, नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या 237/ 30- जी0सी0/2016-17 दिनांक 15 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- उपनिदेशक खनन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय नैनीताल स्थित हल्द्वानी।
- 2- उपजिलाधिकारी, रामनगर।
- 3- मै0 बदेशा स्टोन केशर ग्राम जीवानन्दपुर तहसील रामनगर।

(Signature)

अपर जिलाधिकारी वि0/रा0
नैनीताल।



(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

संख्या : /स्टो0क्रे0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021-22,

दिनांक 21 सितम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-III के विन्दु संख्या 1 के उप विन्दु 2 में संशोधन किया गया है कि:- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी। परन्तु वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा0 न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति में निर्धारित मानकों/प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपन (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण/जाँच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तु उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा। शासन के पत्र संख्या 1551/VII-A-1/2021-68 रिट/08 टीसी-1, दिनांक 08 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 में उक्तानुसार किये गये प्रावधान के सफल एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल लेघा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 2055/खनन/भू0खनि0ई0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश नीतिगत समस्त नियमों का पालन कराते हुए नवीनीकरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को एतद्वारा अधिकृत किया गया है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 01/भू0खनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/नैनी0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा मै0 बदेशा स्टोन क्रेशर द्वारा श्री अमरीक सिंह (पार्टनर) ग्राम जीवानंदपुर, पो0 पीरूमदारा, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम जीवानन्दपुर, पो0 पीरूमदारा, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के खाता सं0 01, 02, रकबा 0.794 है0, खाता सं0 03 रकबा 1.613 है0, खाता सं0 06 रकबा 0.793 है0, खाता सं0 08 रकबा 3.174 है0, खाता सं0 09 रकबा 1.613 है0, खाता सं0 10, 11 रकबा 4.314 है0, खाता सं0 14 रकबा 3.006 है0, इस प्रकार कुल रकबा 15.307 है0 भूमि में पूर्व से स्वीकृत/स्थापित स्टोन क्रेशर के संचालन की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 15.09.2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 237/30-जी0सी0/2016-17, दिनांक 15 सितम्बर 2016 के द्वारा उप निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पत्रांक संख्या 618/भू0खनि0ई0/स्टोन क्रेशर/2016-17, दिनांक 08 सितम्बर 2016 व उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1231/VII-I/2016-68-रिट/2008, दिनांक 19 अगस्त 2016 के क्रम में मैसर्स बदेशा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री अमरीक सिंह द्वारा ग्राम जीवानन्दपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष में पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर अनुज्ञा का नवीनीकरण 05 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान की गयी है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या 01/भू0खनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/नैनी0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अध्याय-III के विन्दु संख्या 1 उप विन्दु 2 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत मै0 बदेशा स्टोन क्रेशर द्वारा श्री अमरीक सिंह (पार्टनर) ग्राम जीवानंदपुर, पो0 पीरूमदारा,

तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम जीवानन्दपुर, पो0 पीरूमदारा, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के खाता सं0 01, 02, रकबा 0.794 है0, खाता सं0 03 रकबा 1.613 है0, खाता सं0 06 रकबा 0.793 है0, खाता सं0 08 रकबा 3.174 है0, खाता सं0 09 रकबा 1.613 है0, खाता सं0 10, 11 रकबा 4.314 है0, खाता सं0 14 रकबा 3.006 है0, इस प्रकार कुल रकबा 15.307 है0 भूमि में पूर्व से स्वीकृत/स्थापित स्टोन क्रेशर के संचालन की अनुज्ञा का मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 15.09.2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाता है:-

शर्तें :

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 7 (15) की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
3. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
4. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
5. नीति के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 (1) के अनुसार अवशेष शुल्क रू0 33,66,000/- (रुपये तैतीस लाख छियासठ हजार मात्र) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्गत नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड/अपडेट किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रशड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लांट में छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकार्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।
8. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
10. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 6 (ङ.) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
11. प्लांट स्वामी के आवेदन पत्र में उल्लिखित प्लांट की क्षमता 800 टन/घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता 10000 टन/घंटा वर्षाकाल में निम्न अवधि अर्थात् (अक्टूबर से जून) तक की अवधि हेतु कच्चे

माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $45 \times 800 \times 10 = 3,60,000$ टन होती है तथा वर्ष में 28,80,000 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।

12. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।
13. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
14. यदि प्लांट स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट के नवीनीकरण की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
15. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 906/VII-I/2020/158 ख-04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
17. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक।

तददिनांकित।

संख्या: 2065/स्टो0क्रे0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021-22,
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to Operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
5. उपनिदेशक (खनन)/नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
6. मैसर्स बदेशा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री अमरीक सिंह द्वारा ग्राम जीवानन्दपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।

21/07/2021
(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



h ① १२ १४ १५ १६



B

27

2

✓



ⓑ

ش

ش

ش

ش

ش




(B)

५५

५५

५५

[Handwritten signature]



B

to


→

↳

from

the

सलम-36
89



(B)

श

→

२

श



B stuy one 2 ~~stuy~~ he



Ⓟ

१२

—

१३ ✓

संलग्न-३९
१२



३

१२



(B)

श

—

→

~~श~~ W ✓



Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awasth Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING


- 1 Report No. AAQM/HLD/30/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Badesha Stone Crusher
Vill- Jeevanandpur, P.O- Peerumadara
Ramnagar, Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 22.06.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. Pravin Arya MA

OBSERVATION

Parameter	Monitoring Location	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Suspended Particulate Matter (SPM)	About 10 meter from crushing unit.	569.1	600


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer





HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gauri Devi Prayavaran Bhawan"
46B, I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehradun
Web: www.ukpcb.gov.in, E-mail: ukpcb@nic.in
Ph. No. 2976151, 2976158, 2607091

UKPCB/HO/Con/B-6/2021/ 1256

Date : 02.12.2021
REGD. POST

To,

M/s Badesha Stone Crusher,
Jeevanandpur, Perrumadara,
Tehsil-Ramnagar, Distt-Nainital.

Consolidated Consent to Operate and Authorization hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2)" of the "Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and Hazardous & Other Wastes Rules, 2016 respectively).

CAF ID - 7961
CCA (Renewal)

Application No. - 1720687
Date- 22.09.2021

CCA is hereby granted to M/s Badesha Stone Crusher located at Jeevanandpur, Perrumadara, Tehsil-Ramnagar, Distt-Nainital subject to the provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions:-

1. This CCA is granted for the period upto 31.03.2031 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment/Net Assets Values ₹ 1115.00 Lacs.:-

S. No.	Last CCA		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1	Stone Grits & Sand of different size	81000MT	Stone Grits & Sand of different size	81000MT

2. Specific Conditions under Water Act:-

- (i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA	Present CCA (Renewal)
Trade Effluent	Nil.	Nil.
Sewage	1.0	1.0

- (ii) Trade Effluent Treatment and Disposal:Nil.....

- (iii) Sewage Treatment and Disposal: The applicant shall provide comprehensive Septic Tank/soak pits as is required with reference to influent quantity and quality.

3. Conditions under Air Act :-

- (i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards :

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1	D.G. Set (500 KVA) X1	5	HSD	65 Ltr/Hr	Acoustic Enclosure	-

B

2

B

-1-

B

B

2	D.G. Set (30 KVA) X1	1	HSD	5 Ltr/Hr	Acoustic Enclosure	96
3	D.G. Set (320 KVA) X1	5	HSD	40 Ltr/Hr	Acoustic Enclosure	-
Ambient air quality						
1	Suspended Particulate matter (SPM)	Not to exceed			600µg/M ³	

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

- (ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. Conditions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016:-

- (i) The Factory Manager of M/s Badesha Stone Crusher, Jeevanandpur, Perrumadara, Tehsil-Ramnagar, Distt-Nainital is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
- (ii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes :-

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	Schedule I – 5.1	0.200	Recyclable

- (iii) The authorization shall be in force for the period upto 31.03.2031.
- (iv) The authorization is subject to the conditions stated below and the such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of authorization:-

- (i) The authorization shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made there under.
- (ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.
- (iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.
- (iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- (v) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.
- (vi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.
- (vii) The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the MoEF&CC or CPCB/SPCB from time to time.

5. This CCA is valid for Crushing & Screening process only.

Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-

- (i) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-10 under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and Third Party Audit Report.
 - (ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
 - (iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
 8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
 9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules

ec Member Secretary

Copy to :- Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani, Distt. Nainital for information and compliance of the same.

27.11.24
Chief Environment Officer

ec
27/11/24

Specific Conditions:

1. The Unit shall strictly comply with the provisions of Water Act, Air & E(P) Act and Rules/Notifications made thereunder.
2. This CCA valid for crushing of raw material (River Bed Materials) obtained from legitimate sources only.
3. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
4. The unit shall not increase the production capacity as given in this CCA without prior Consent of the Board.
5. The industry shall strictly adhere with the specific and general conditions issued with CCA order. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules made thereunder.
6. The unit shall ensure all measures for pollution control as specified under the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules made there under. Unit shall comply with the standards stipulated for stone crushing Units under the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended time to time, so that ambient air quality not exceed prescribed limit at any time.
7. Unit shall provide wind breaking wall along the periphery of the premises.
8. Unit shall construct metallic road within premises.
9. Unit shall provide dust suppression/ containment system on all dust emitting sources /equipment.
10. Unit shall do regular wetting of the ground within premises.
11. Stone crusher shall be established inside the covered shed.
12. Ducting system with ID fan to be provided for suction of dust and to be scrubbed with water. The water from scrubbing will be channelizing to settling tank. The water will be re-used for scrubbing.
13. The industry shall ensure interlocking of air pollution control devices and production processes.
14. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
15. The Stone Crushing units/Screening Plants/Pulverisers shall strictly follow the provisions of the *Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulviser Plants Hot Mix Plant, Ready mix Plant Anugya Policy, 2021* promulgated by the State Government and shall obtained necessary permission from the competent authority within stipulated time specified in *Anugya policy-2021*, as amended time to time.
16. The industry shall ensure all safety measures and shall undertake periodical assessment by the competent authority.
17. The unit shall not operate during night hours as defined under Noise Rules-2000.
18. This CCA is valid for raw materials obtained from legitimate sources, only.
19. Unit shall comply with Directions/Orders/Guidelines issued by Hon'ble Courts/Tribunal and/or Competent Authority from time to time in reference to Stone Crusher.
20. The unit shall strictly adhere to provisions of Water Act, Air Act & E(P) Act and Rules/Notification made thereunder.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analyze the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UKPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.

(M)

str

-4-

Hant


4. The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
5. The industry shall provide uninterrupted entry to Pollution Control equipment for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
6. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
7. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
8. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
9. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
10. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
11. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
12. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the Board.
13. Any unauthorized change in personnel, equipment as working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
14. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility.
15. The authorization is valid for temporary storage of Hazardous Waste within premises only.
16. The authorized agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on Display Board of size 6x4 feet outside the main factory gate within premises.
17. It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to close and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
18. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed physical and chemical analysis of hazardous waste sample and report to the Board.
19. The storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and 'Hazardous' shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
20. The industry shall store used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be sold only to Registered Recyclers/Re-processors.
21. In case of any transportation of hazardous waste, the details in Form-10 of the Hazardous & Other Wastes Rules, 2016 shall be submitted to the Board.

Sfunt 27.11.24

Chief Environment Officer

BU *VHS*

du



B

2

—

2

Part

2



Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch -State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed successfully.

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	BADESHA STONE CRUSHER
2	Address	JEEVANANDPUR, PEERUMADARA RAMNAGAR, NAINITAL Uttarakhand 244715
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	Boundary wall and Covered facing Amount against 21 jun 2022 Joint Inspection
5	Gross value of Challan	200000
6	Net value of Challan	200000
7	Deaprtment	Director Industries
8	Related office for which challan is to be deposit	District Mine Officer Nainital
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous mining and metallurgy industry
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	200000
Total Challan Amount-			200000

Amount (in words) - Rs. Two Lakh only

Signature of departmental officer with seal

BADESHA STONE CRUSHER

Challan No- 08530622E0057630	Amount in Figure(Rs.) - 200000
Date - 29-JUN-2022	Amount in words - Rs. Two Lakh only
Received Through	
Bank Ref. No. - CPABUKZTB6	
State Bank Of India (Payment Gateway)	

B

dy

—

W

Handwritten signatures



(B)

AL → N ~~Start~~ by ✓



मुख्यालय

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20, नेमी रोड़, डालनवाला, देहरादून

संलग्न-45
103

पत्रांक-यूईपीसीबी/एचओ/एनओसी-7021/2018/305

दिनांक 17-5-2018

सेवा में,

M/s Shri Guru Har Rai Stone Crusher.,
Khasra No : 94Min,
Village-Sobanpur, Tehsil-Ramnagar,
Distt-Nainital.

Registered/AD

PCB ID : 21895
CTE : Fresh
Outward No-

विषय :- पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 24.01.2018 (INWARD : 97892) एवं तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सशर्त स्थापनार्थ सहमति पत्र निर्गत किया जाता है।

1- यह स्थापनार्थ सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल :	Khasra No : 94Min, Village-Sobanpur, Tehsil-Ramnagar, Distt-Nainital.
(ख) उत्पादन :	Grits and Sand-24000MT/Month.
(ग) मुख्य कच्चे माल :	River Bed Material-24000MT/Month.
(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह :	Nil.
(ङ) प्रयुक्त ईंधन :	HSD for DG Set (360KVA) x 1Nos and (82.5KVA) x 1Nos.

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापना हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संग्रह, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि यह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CTO) प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति (CTO) प्राप्त करके हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।
- घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा 0.2कि०ली०/दिन से अधिक नहीं होगी। जनित घरेलू उत्प्रवाह को सोकपिट के माध्यम से सैप्टिक टैंक में निस्तारित किया जाये।
- उद्योग द्वारा शून्य उत्प्रवाह का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- उद्योग प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक पर्यावरणीय वस्तु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र दिनांक 24.01.2018 से दिनांक 23.01.2023 तक की अवधि के लिए वैध होगा।
- उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये, कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
- उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार निस्तारित किया जाये कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे।

12

12

12

12

12

क्रमशः ...पेज-2

- 11- उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न हों। प्रदूषण सम्बन्धी जन-शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापनार्थ सहमति पत्र रिवोक कर दिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योगी का होगा।
- 12- उद्योग परिसर में चारों तरफ कम से कम 3 कतारों वाली हरित पट्टिका विकसित की जाये। हरित पट्टिका हेतु सघन तथा छायादार वृक्षों का वन्य किया जाये। हरित पट्टिका हेतु निर्धारित भूमि पर निर्माण कार्य न किया जाये।
- 13- उद्योग में जां क्रेशर व वाईब्रेटरी स्क्रीन में कवर्ड शेड की स्थापना की जाये।
- 14- उद्योग में समस्त धूल जनित बिन्दुओं में जैसे क्रेशिंग, कन्वेयर बेल्ट आदि में धूल नियंत्रण हेतु उचित क्षमता के फव्वारों की स्थापना की जाये तथा परिसर में धूल नियंत्रण हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाये।
- 15- उद्योग द्वारा मुख्य मार्ग से उद्योग परिसर एवं रैम्प तक Metalled Road का निर्माण किया जाये।
- 16- उद्योग परिसर के चारों तरफ भू-तल से नियमानुसार 15 फीट ऊँची विण्ड ब्रेकिंगवाल का निर्माण किया जाये तथा धूल नियंत्रण हेतु उचित क्षमता के सिंक्लर्स स्थापित किये जाये। किसी भी परिस्थिति में कन्वेयर एवं झरने की ऊँचाई भू-तल से 13फीट से अधिक ऊँची न की जाये।
- 17- 360के.वी.ए. क्षमता एवं 82.5के.वी.ए. क्षमता के जनरेटर रोटों में इकजाॅस्ट स्टैक की उँचाई मानकों के अनुरूप स्थापित की जाये एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इन्क्लोजर्स की स्थापना की जाये।
- 18- उद्योग में पर्यावरण (संरक्षण) नियम-1986 के अन्तर्गत स्टोन क्रशिंग यूनिट हेतु निर्धारित मानकों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- 19- उद्योग में राज्य बोर्ड पूर्वानुमति के बिना अतिरिक्त प्लांट मशीनरी एवं डी.जी.सेट आदि की स्थापना कदापि न की जाये।
- 20- उद्योग द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्टोन केशर की स्थापना हेतु निर्गत अनुज्ञा में वर्णित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 21- उद्योग में स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, प्लवराइजर एवं मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा स्टोन केशर की स्थापना उक्त नीति के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाये।
- 22- यह स्थापनार्थ सहमति मात्र मद 1/ 'ख' में वर्णित उत्पाद हेतु मान्य है।
- 23- यह स्थापनार्थ सहमति जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। अन्य विभागों से भी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। उद्योग में जल अधिनियम-1974, वायु अधिनियम-1986 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 एवं उनके अन्तर्गत प्रख्यापित नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- 24- इंगित स्थल के विधिक भूमि उपयोग एवं नियमानुसार अन्य विभाग से वांछित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति (CoE) पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापनार्थ सहमति पत्र (Consent to Establish) की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 25.05.2018 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापनार्थ सहमति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

भवदीय

(एस.पी. सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

पृ 0 सं 0 एवं दिनांक/उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी को सूचनाय एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

उत्तराखण्ड शान्त
औद्योगिक विकास अनुभाग 1

संख्या /VII-1/36-स्टोन क्रेशर/2016

देहरादून : दिनांक : जनवरी 2017

कार्यालय झाप

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्कीमिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर मकानों की स्कीमिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2016 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, स्वामी निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 593/स्टोन क्रेशर/भू0खनि0ई0/खनन/नैनी0/2016-17 दिनांक 05 अक्टूबर, 2016 के द्वारा श्री गुरु हर राम स्टोन क्रेशर के नाम से ग्राम सोबनपुर तहसील रामनगर जिला नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 16126 हे० क्षेत्रफल में से ग्राम सोबनपुर के खसरा संख्या 94मि० रकबा 5.185 हे० मध्ये 5 एकड़ नाप भूमि में 100 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर के स्थापना/संचालन हेतु स्टोन क्रेशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में कार्यालय झाप संख्या 1753/VII-1/16/68-रिट/08 दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्कीमिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीमिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2016 एवं कार्यालय झाप संख्या 1890/VII-1/16/68-रिट/08 दिनांक-14 दिसम्बर, 2016 द्वारा नीति, 2016 में जोड़े गये अतिरिक्त प्राविधान अध्याय-VII के प्राविधानुसार सगस्त औपचारिकतायें एवं मानक पूर्ण होने के दृष्टिगत राजस्व हित, जनहित एवं विकास हित में श्री गुरु हर राम स्टोन क्रेशर के नाम से ग्राम सोबनपुर तहसील रामनगर जिला नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 16126 हे० क्षेत्रफल में से ग्राम सोबनपुर के खसरा संख्या 94मि० रकबा 5.185 हे० मध्ये 5 एकड़ नाप भूमि में 100 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर के स्थापना/संचालन हेतु 05 (पांच वर्ष) की अवधि के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन स्टोन क्रेशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

शर्त:-

1. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अन्ध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।
2. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट संयंत्र (Equipment) की परिसर की चारदीवारी (Boundary wall) के अन्दर स्थापित करेगा।
3. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चार दीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० उंची होगी।
4. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन क्रेशर स्वामी पर रु० दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
6. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
7. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
8. स्टोन क्रेशर तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed सेड के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
9. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर/स्कीमिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि धूल हवा में न उड़े।
11. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित घट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।

12. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कन्सन्ट सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक मानकों के रूप से पूर्ण करने होंगे।
13. स्टोन केशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्वेशिग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार **Water sprinklers** फब्बारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
14. स्टोन केशर स्वामी द्वारा फब्बारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी ताकि फब्बारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
15. कवर्ड टिन शेट में धूल कणों के निष्कासन हेतु ड्रैफ्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये जिसकी आर्इ0डी फैन के माध्यम से स्कवियंग की जायेगी। स्कवियंग में प्रयुक्त जल को सेलेंटिंग टैंक के माध्यम से रिसार्इफिल किया जायेगा।
16. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर की स्थापना प्रारम्भ किये जाने से पूर्व जिलाधिकारी को चरित्र प्रमाण पत्र की नवीनतम प्रति उपलब्ध कराया जाना एवं तदनुसार शासन को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा।
17. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर हेतु कच्चे माल की आपूर्ति जिन निजी खनन पट्टों से की जायेगी, यदि उक्त पट्टों की क्षमता स्टोन केशर की क्षमता से कम है, तो स्टोन केशर स्वामी द्वारा अन्य पट्टों से स्टोन केशर हेतु कच्चा माल प्राप्त किये जाने हेतु अनुबन्ध करते हुए शपथ पत्र पर उसकी सूचना से शासन को अवगत कराया जाना होगा।
18. स्टोन केशर स्वामी द्वारा बैंक लिस्ट के अनुसार स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा।
19. प्रस्तावित स्टोन केशर को भण्डारण की अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा स्टोन केशर स्वामी को स्टोन केशर के संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
20. अवैध खनन व अवैध भण्डारण पर अंकुश लगाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा प्रश्नगत स्टोन केशर को कच्चे माल की आपूर्ति हेतु आवेदक द्वारा जिन निजी पट्टाधारकों एवं निगमों का उपखनिज की आपूर्ति संबंधी अनुबन्ध पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा उक्त खनन पट्टों/लॉटों की क्षमता के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता तक ही प्रश्नगत स्टोन केशर को संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। कच्चा माल समाप्त होने के उपरान्त यदि प्रश्नगत स्टोन केशर द्वारा अवैध तरीके से उपखनिज की आपूर्ति किया जाना पाया जाता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्दिष्ट करने वाले सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(दिनेय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव।

पृष्ठांक संख्या: 1698 (1)/VII-1/अ-स्टोन केशर/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त बिन्दु संख्या-19 एवं 20 के अनुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रदूषण नियन्त्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण किये जाने हेतु जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
4. श्री गुरु हर राय स्टोन केशर, ग्राम सोबनपुर तहसील रामनगर जिला नैनीताल।
5. चार्ज फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या: 2232 / स्टो0क्र0नवी0 / खनन / भू0खनि0ई0 / उद्य0 / 2021-22.

दिनांक 29 सितम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पत्थराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-III के विन्दु संख्या 1 के उप विन्दु 2 में संशोधन किया गया है कि:- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी। परन्तु वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा0 न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति में निर्धारित मानकों/प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपन (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण/जाँच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा। शासन के पत्र संख्या 1551/VII-A-1/2021-68 रिट/08 टीसी-1, दिनांक 08 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 में उक्तानुसार किये गये प्रावधान के सफल एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल लेघा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 2055/खनन/भू0खनि0ई0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश नीतिगत समस्त नियमों का पालन कराते हुए नवीनीकरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को एतद्वारा अधिकृत किया गया है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 78/भू0खनि0ई0/स्टो0क्र0नवी0/नैनी0/2021-22, दिनांक 29 सितम्बर 2021 के द्वारा मैसर्स श्री गुरु हर राय स्टोन क्रेशर, ग्राम सोबनपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम सोबनपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 5.185 है0 भूमि में पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 03 जनवरी 2022 आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1698/VII-1/34-स्टोन क्रेशर/2016, दिनांक 03 जनवरी 2017 के द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के प्रस्ताव पत्र संख्या 593/स्टोन क्रेशर/भू0खनि0ई0/खनन/नैनी0/2016-17, दिनांक 05 अक्टूबर 2016 के क्रम में आवेदक श्री गुरु हर राय स्टोन क्रेशर के नाम से ग्राम सोबनपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 16.126 है0 क्षेत्रफल में से ग्राम सोबनपुर के खसरा संख्या 04 मि0, रकबा 5.185 है0 मध्ये 5 एकड़ नाप भूमि में 100 टन प्रतिघंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर के स्थापना/संचालन हेतु स्टोन क्रेशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या 1758, दिनांक 19 नवम्बर 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 1890, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा नीति, 2016 में जोड़े गये अतिरिक्त प्रावधान अध्याय-VII के प्रावधानानुसार समस्त औपचारिकताएं एवं मानक पूर्ण होने के दृष्टिगत राजस्व हित, जनहित एवं विकास हित में श्री गुरु हर राय स्टोन क्रेशर के नाम से ग्राम सोबनपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 16.126 है0 क्षेत्रफल में से ग्राम सोबनपुर के खसरा संख्या 94 मि0 रकबा 5.185 है0 मध्ये 5 एकड़ नाप भूमि में 100 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर की स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए आदेश में निर्धारित प्लांट के अधीन अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने की अनुमति











प्रदान की गयी है। तदुपरान्त कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 190/30-जी0 सी0/2017-18 दिनांक 27.01.2018 के द्वारा मै0 श्री गुरु हरराय स्टोन क्रेशर, ग्राम सोबनपुर तहसील रामनगर जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम सोबनपुर तहसील रामनगर जिला नैनीताल के खसरा संख्या 94 मि0 रक्वा 0.767 है0, 0.443 है0, 1.762 है0, 0.949 है0 तथा 1.264 है0 कुल रक्वा 5.185 है0 मध्ये 4.985 है0 क्षेत्रफल में एक समय में 1,49,550 घन मीटर तथा प्रतिवर्ष 4,48,550 उपखनिज भण्डारण के द्वारा दिनांक 02.01.2022 तक की अवधि हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्लांट स्वामी के आवेदन पत्र में क्रेशर प्लांट की क्षमता 500 टन प्रति घंटा उल्लिखित है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या-9 में उल्लिखित गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या 78/भू0खनि0ई0/स्टो0क्रेश0नदी0/नैनी0/2021-22, दिनांक 29 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 उप बिन्दु 2 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत मैसर्स श्री गुरु हर राय स्टोन क्रेशर, ग्राम सोबनपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम सोबनपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत कुल रक्वा 5.185 है0 भूमि में पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा का मध्य भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 03 जनवरी 2022 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाता है:-

शर्तें :

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (15) की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
3. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
4. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
5. नीति के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 (1) के अनुसार अवशेष शुल्क रू0 27,72,000/- (रुपये सत्ताईस लाख बहत्तर हजार मात्र) नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड/अपडेट किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रशड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लांट में छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लांट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के ध्य पर स्थापित करेगा तथा रिकार्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।
8. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के

५७

—

५

५७

अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
10. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ङ.) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
11. प्लांट स्वामी के आवेदन प्रपत्र में प्लांट की क्षमता 500 टन/घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $90 \times 500 \times 10 = 4,50,000$ टन तथा वर्षाकाल से निम्न अवधि अर्थात् अक्टूबर से जून तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $45 \times 500 \times 10 = 2,25,000$ टन होती है तथा वर्ष में 18,00,000 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।
12. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पत्थराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।
13. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
14. यदि प्लांट स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट के नवीनीकरण की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
15. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 906/VII-1/2020/158 ख-04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
17. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक।

संख्या: 2232/स्टो0क्रेशर0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/पि0/2021-22, तददिनांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका

५१

—

५

५५

5. उपनिदेशक (खनन)/नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
6. उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, नैनीताल।
7. मैसर्स श्री गुरु हर राय स्टोन क्रेशर, ग्राम सोबनपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।

29/09/2021
(एसओएलए पैट्रिक)
अपर निदेशक।

h

→

2

h

संलग्न (48)

111



①

५२

५३

५४

५५



प्राय


२

५५

६

५

५




⊙

✱

१२

१३



ⓑ

१

२

३

४




0

2

संलग्न

2

श्री ११६



②

12

13

14

15



Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awaz Vikas Colony, Haldwani (Nainital)

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING


- 1 Report No. AAQM/HLD/32/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Shri Guru Hari Rai Stone Crusher
Vill- Sobanpur, P.O- Peerumadara
Ramnagar, Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 22.06.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. Ravindra Singh Jarout MA

OBSERVATION

Parameter	Monitoring Location	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Suspended Particulate Matter (SPM)	About 10 meter from crushing unit.	583.3	600


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer

③

A



W





HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gauri Devi Prayavaran Bhawan"
46B, I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun

UKPCB/HO/Con/S-543/2020/ 704

Date: 29.8.2020
REGD. POST

To,

M/s Shri Guru Har Rai Stone Crusher,
 Khasra No: 94Min
 Vill-Sobanpur, Ramnagar,
 Distt-Nainital.

Consolidated Consent to Operate and Authorization hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2)" of the "Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and Hazardous & Other Wastes Rules, 2016 respectively).

PCB ID - 21895	Inward ID - 265612
CCA (Renewal)	
Consent No. 40575/	Date : 01-06-2020

CCA is hereby granted to M/s Shri Guru Har Rai Stone Crusher, Khasra No: 94Min, Vill-Sobanpur, Ramnagar, Distt-Nainital subject to the provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous & Other Wastes Rules, 2016 and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is granted for a period upto 31-03-2022 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment / Net Assets Values 16.50Cr:-

S. No.	Last CCA		Present CCA (Renewal)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1.	Stone Grits, Sand	24000M.T.	Stone Grits, Sand	24000M.T.

2. Specific Conditions under Water Act :-

- (i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA	Present CCA (Renewal)
Trade Effluent	NIL	NIL
Sewage	2.0	2.0

- (ii) Trade Effluent Treatment and Disposal: -----NIL-----

- (iii) Sewage Treatment and Disposal: The applicant shall provide comprehensive Septic Tank & Soak Pit as is required with reference to influent quantity and quality.

3. Conditions under Air Act :-

- (i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards :

A2

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1.	D.G. Set (360KVA) x1	4	HSD	20Ltr./Day	Acoustic Enclosure	-
2.	D.G. Set (82.5KVA) x1	2	HSD	10Ltr./Day	Acoustic Enclosure	-
Ambient air quality						
1.	Suspended Particulate matter (SPM)		Not to exceed		600µg/M ³	

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

- (ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. Conditions under Hazardous & Other Wastes Rules, 2016 :-

- (i) Number of authorization and date of issue : -----
- (ii) The Factory Manager of M/s Shri Guru Har Rai Stone Crusher, Khasra No: 94Min, Vill-Sobanpur, Ramnagar, Distt-Nainital is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
- (iii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes :-


S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	Schedule I - 5.1	0.100	Recyclable.

- (iv) The authorization shall be in force for a period up to 31-03-22.
- (v) The authorization is subject to the conditions stated below and such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under **Environment (Protection) Act, 1986**.

Terms and conditions of authorization:-

- (i) The authorization shall comply with the provisions of the **Environment (Protection) Act, 1986**, and the rules made there under.
- (ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.
- (iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.
- (iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- (v) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.
- (vi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.

- (vii) The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the MoEF or CPCB/SPCB from time to time.
5. This CCA is valid for Stone Crushing process only.
 6. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-**
 - (i) Annual return in **Form-4** and **Waste Disposal Manifest in Form-10** under **Hazardous & Other Wastes Rules, 2016** and **Third Party Audit Report**.
 - (ii) Environment Statement in **Form-V** of **Environment (Protection) Rules, 1986**.
 - (iii) **Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.**
 7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
 8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
 9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the **Water Act, Air Act and Hazardous & Other Wastes Rules, 2016** will results in legal action under the aforesaid **Acts and Rules**.
 10. Unit Shall Obey any Direction/Guidelines/Order issued by Hon'ble Courts/Tribunal time to time in reference to Stone Crusher.
 11. The Unit Shall comply all the conditions mentioned in Uttarakhand Govt. permission letter no.-1698(1)/vii-1/34-stone crusher/2016, dated 03-01-2017.


Member Secretary

Copy to :- **Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani** for information and compliance of the same.


Chief Environment Officer

③

AL



R




Specific Conditions:

1. The applicant shall provide ISI mark water meter to each water supply source and shall regularly submit returns of water consumption in the prescribed form and pay the cess as specified under Section-3 of Cess Act.
2. The applicant shall submit audited balance sheet of the unit at the end of each financial year so that fee submitted by the applicant could be assessed.
3. The applicant shall provide ports in the chimney/stack and facilities such as ladder, platform etc. as per requirement for monitoring the air emissions and the same shall be open for inspection and use at all times by the Board's staff. The chimney/stack attached to various sources of emission shall be designated by numbers such as S-1, S-2 etc. and these shall be painted/ displayed to facilitate identification.
4. The industry shall ensure interlocking of air pollution control devices and production processes.
5. A Solid wastes generated from the industry has to be disposed in manner so that contamination of surface water bodies/ground water/soil etc. does not take place.
6. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
7. The applicant shall develop three rows of green belt on the premises with plant species as suggested by the **Central Pollution Control Board**.
8. The industry shall strictly adhere with the specific and general conditions issued with CCA order. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of **Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules** made thereunder.
9. The industry shall ensure all **safety measures** and shall undertake **periodical assessment** by the competent authority.
10. Unit shall ensure manifest system in **Form-10 of Hazardous & Other Wastes Rules, 2016** while disposing hazardous waste.
11. Hazardous waste should not be stored beyond a period of 90 days.
12. The industry situated nearby the River Ganga and its tributaries shall ensure the treatment facilities and disposal arrangement in such a way so that no waste water is discharged in water stream or water bodies.
13. The Unit shall strictly follow **Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant, Ready Mix Plant Anughya Nitti, 2016** and amended promulgated by the State Government and shall obtained necessary permission from the competent authority with in stipulated time specified in **Anughya Policy-2016** and amended
14. The unit shall ensure all measures for pollution control as specified under the **Environment (Protection) Act, 1986** and Rules made thereunder.
15. This CCA valid for crushing of raw material (River Bed Materials) obtained from legitimate sources only.
16. The unit shall not operate during night hours as defined under Noise Rules-2000.
17. The unit shall ensure proper installation and operation of pollution control measures as required in under the **Environment (Protection) Rules, 1986** so that ambient air quality not exceed prescribed limit at any time.
18. The unit shall not increase the production capacity as given in this CCA without prior permission of the Board.
19. The unit shall strictly comply with the provisions of **Water, Air & Environment (Protection) Acts and Rules/Notifications** made there under.
20. Unit Shall ensure to submit compliance report along with ambient air quality report in end march of every year.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UEPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the **Board** bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the **Board**, legal action shall be initiated against the applicant.

5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP's/ETP's inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
7. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
13. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the Board.
14. Any unauthorized change in personnel, equipment as working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
15. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility.
16. The authorization is valid for temporary storage of Hazardous Waste within premises only.
17. The authorized agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on Display Board of size 6x4 feet out side the main factory gate within premises.
18. It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to close and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
19. The applicant shall maintain record of hazardous waste in Form-3 and shall submit annual return in Form-4 on or before the 30th day of June following to the financial year to which that return relates.
20. In no case any hazardous waste shall be disposed off on land, in any drain, or into any water stream. All spillage must also be safely collected and stored.
21. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed physical and chemical analysis of hazardous waste sample and report to the Board.
22. Dried hazardous sludge from the process in the plant shall be stored in double lined HDPE pit constructed with R.C.C. or such material which does not react with the waste contained in it.
23. The storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and 'Hazardous' shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
24. The industry shall store non-ferrous metal waste, used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be sold only to Registered Recyclers/Re-processors.
25. In case of any transportation of hazardous waste, the details in Form-10 of the Hazardous & Other Wastes Rules, 2016 shall be submitted to the Board.


Chief Environment Officer














संलग्न - 57
124




B

12

12

12

12



58

 Treasury Form-209(1)
 Financial Handbook Vol. V, Part- II
 Form No. 43A(1)
 (See Paragraph 417 and 478)
 Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch -State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed successfully.

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	SHRI GURU HAR RAI STONE CRUSHER
2	Address	VILLAGE SOBANPUR, PEERUMADARA, RAMNAGAR Uttarakhand 244715
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	BOUNDARY WALL FENCING CHALLAN
5	Gross value of Challan	200000
6	Net value of Challan	200000
7	Deaprtment	Director Industries
8	Related office for which challan is to be deposit	Dy Director Geology Mines Haldwani
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous mining and metallurgy industry
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	200000
Total Challan Amount-			200000


Amount (in words) - Rs. Two Lakh only


Signature of departmental officer with seal


SHRI GURU HAR RAI STONE CRUSHER

Challan No- 08530622E0056248	Amount in Figure(Rs.) - 200000
Date - 28-JUN-2022	Amount in words - Rs. Two Lakh only
Received Through	
Bank Ref. No. - CPABUJKGY6	
State Bank Of India (Payment Gateway)	









3

है

है

है

है

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20, नेमी रोड़, डालनवाला, देहरादून

128

पत्रांक-यूईपीसीबी/एचओ/एनओसी-5099/2016/1458

दिनांक 17/11/2016

सेवा में,

M/s Mahabali Stone Pvt. Ltd.,
Khata No : 14, 15 & 30,
Village-Papdi, Tehsil-Ramnagar,
Distt-Nainital.

Registered/AD

PCB ID : 20627
CTE : Fresh
Outward No-

विषय :- पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2016 (INWARD : 64515) एवं तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सशर्त स्थापनार्थ सहमति पत्र निर्गत किया जाता है।

1- यह स्थापनार्थ सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

- (क) स्थल : Khata No : 14, (Khasra No : 212 & 249) 15 & 30, (Total Area-2.284Hac.)
Village-Papdi, Tehsil-Ramnagar, Distt-Nainital.
- (ख) उत्पादन : Stone Grits and Sand-5200MT/Month.
- (ग) मुख्य कच्चे माल : River Bed Material-5500MT/Month.
- (घ) औद्योगिक उत्प्रवाह : Nil.
- (ड.) प्रयुक्त ईंधन : DG Set (650KVAX 1Nos.)

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापना हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CTO) प्राप्त न कर ले। जल सहमति एवं वायु सहमति (CTO) प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।
- घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा 0.5 कि०ली०/दिन से अधिक नहीं होगी। जनित घरेलू उत्प्रवाह को सोकपिट के माध्यम से सेप्टिक टैंक में निस्तारित किया जाये।
- उद्योग प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक पर्यावरणीय वक्तव्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- यह स्थापना हेतु सहमति पत्र दिनांक 30.09.2016 से दिनांक 29.09.2021 तक की अवधि के लिए वैध होगा।
- उद्योग का संचालन इस प्रकार से किया जाये, कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
- उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न हों। प्रदूषण सम्बन्धी जन-शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापनार्थ सहमति पत्र रिवोक कर दिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योगी का होगा।

Seeding from UIDAI server

चारों तरफ कम से कम 3 कतारों वाली हरित पट्टिका विकसित की जाये। हरित पट्टिका के अन्तर्गत जल संचयन का चयन किया जाये। हरित पट्टिका हेतु निर्धारित भूमि पर निर्माण कार्य केंद्रित नहीं होवे।

VINOD KUMAR

Secretary

Signed On 27/10/2016 14:15:17

(Organic Authentication on Aadhaar from UIDAI Server)

A. Previous Consent/Referral/CC Order / NOC Order (PCR) Uploaded in XGN on 19/01/2017 11:17:35 from IP No: 61.0.100.209. TPAV # LHUS1K4R73

B. 20627-Mahabali Stone Pvt Ltd accepts the LEGAL responsibility

and undertakes that the furnished information is correct. Order No: 142261E7/12/2016. TPAV # LHUS1K4R73

(B)

dy

h

- 11- उद्योग में जा क्रेशर व वाइब्रेटरी स्क्रीन में कवर्ड शैड की स्थापना की जाये।
- 12- उद्योग में समस्त धूल जनित बिन्दुओं में जैसे क्रेशिंग, कन्वेयर बेल्ट आदि में धूल नियंत्रण हेतु उचित क्षमता के फव्वारों की स्थापना की जाये तथा परिसर में धूल नियंत्रण हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाये।
- 13- उद्योग द्वारा मुख्य मार्ग से उद्योग परिसर एवं रैम्प तक Metalled Road का निर्माण किया जाये।
- 14- उद्योग परिसर के चारों तरफ भू-तल से नियमानुसार 15 फीट ऊँची विण्ड ब्रेकिंगवाल का निर्माण किया जाये तथा धूल नियंत्रण हेतु उचित क्षमता के स्पिंक्लर्स स्थापित किये जाये। किसी भी परिस्थिति में कन्वेयर एवं झरने की ऊँचाई भू-तल से 13फीट से अधिक ऊँची न की जाये।
- 15- 650के.वी.ए. क्षमता के जनरेटर सैट में इक्जॉस्ट स्टैक की उँचाई मानकों के अनुरूप स्थापित की जाये एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इन्व्लोजर्स की स्थापना की जाये।
- 16- उद्योग में पर्यावरण (संरक्षण) नियम-1986 के अन्तर्गत स्टोन क्रशिंग इकाईयों हेतु निर्धारित मानकों की व्यवस्था एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करें।
- 17- उद्योग द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्टोन केशर की स्थापना हेतु निर्गत अनुज्ञा पत्र सं0-636/VII-1/10-स्टोन केशर/ 2015 दिनांक 31.10.2015 में वर्णित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 18- उद्योग में स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, प्लवराइजर एवं मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा वीति, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा स्टोन केशर की स्थापना उक्त वीति के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाये।
- 19- यह स्थापनार्थ सहमति मात्र Natural Screening and Crushing प्रक्रियाओं हेतु मान्य है।
- 20- उद्योग में राज्य बोर्ड पूर्वानुमति के बिना अतिरिक्त प्लांट मशीनरी एवं डी.जी.सेट आदि की स्थापना कदापि न की जाये।
- 21- यह स्थापनार्थ सहमति जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। अन्य विभागों से भी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। उद्योग में जल अधिनियम-1974, वायु अधिनियम-1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 एवं उनके अन्तर्गत प्रख्यापित नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- 22- इंगित स्थल के विधिक भूमि उपयोग एवं नियमानुसार अन्य विभाग से वांछित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति (CoE) पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापनार्थ सहमति पत्र (Consent to Establish) की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा विरस्त कर दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 03.12.2016 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापनार्थ सहमति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

भवदीय

(विनोद सिंघल)
सदस्य सचिव

पृ० सं० एवं दिनांक/उपरोक्तानुसार।

✓ प्रतिलिपि - क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।

पर्यावरण अभियन्ता
07/12/16

eSign
Seeding from UIDAI server

VINOD KUMAR
Member Secretary
e-Signed On 27/10/2016 14:15:17

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)

A. Previous Consent-Refect/CCA Order / NOC Order (PCR) Uploaded in XGN on 19/01/2017 11:17:35 from IP No: 61.0.100.209. TPAV # LHUS1K4R73
B. 20627-Mahabali Stone Pvt Ltd accepts the LEGAL responsibility and undertakes that the furnished information is correct and true. Date: 14/12/2016. TPAV # LHUS1K4R73

(B)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग

संख्या: 636 / VII-1 / 10-स्टोन केशर / 2015

देहरादून : दिनांक: 31 जून, 2015

जुलाई

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड के 'मैदानी क्षेत्र' हेतु स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2011 के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के प्रस्ताव दिनांक 30 मई, 2015 के क्रम में आवेदक श्री विजय कुमार निदेशक, महाबली स्टोन केशर प्रा0लि0 को ग्राम पापड़ी, पो0 पीरुमदारा, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 2.284 हैक्टेयर (5.64 एकड़) नाप भूमि में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या, जिसमें प्रस्तावित स्टोन केशर समस्त मानकों को पूर्ण कर रहा है किन्तु आवासीय क्षेत्र से प्रस्तावित स्टोन केशर की दूरी नीति के अनुसार 500 मीटर से अधिक होनी चाहिए, किन्तु उक्त स्टोन केशर में 500 मीटर की दूरी के अन्दर 10 आवासीय भवन स्थित है, जिनके भूस्वामियों द्वारा नोटराईज्ड शपथ पत्र दिया गया है। तथा दो मकान ऐसे हैं जहां मजदूर निवास कर रहे हैं और कृषि कार्य करते हैं, इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत उदयपुरी बन्दोवस्ती द्वारा एक बैठक की गयी जिसमें उक्त स्टोन केशर लगाने हेतु अनापत्ति प्रस्ताव पारित किया गया, तत्कम में ग्राम प्रधान उदयपुरी द्वारा दी गयी अनापत्ति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2011 के अन्तर्गत 200 टन प्रतिदिन क्षमता का स्टोन केशर स्थापना/संचालन हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. स्टोन केशर स्वामी स्टोन केशर परिसर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिहवन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अधीन करेगा।
2. स्टोन केशर प्लान्ट परिसर की चार दिवारी के अंदर मध्य में स्थापित किया जायेगा।
3. स्टोन केशर स्वामी स्टोन केशर परिसर में न्यूनतम 15 फीट की ऊंचाई की चार दिवारी के अंदर 13 फीट से अधिक ऊंचाई तक कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण नहीं करेगा। यदि कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक (बिन्दु 8(ग) में वर्णित) से अधिक होती है तो उक्त भण्डारण को अवैध भण्डारण मानते हुए स्टोन केशर स्वामी के विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2005 के अनुसार जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जनपद) द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
4. स्टोन केशर स्वामी द्वारा धूल के कणों के उत्सर्जन को रोकने की विधि या धूलकणों को हवा में उड़ने से रोकने की विधि का अभाव स्टोन केशर प्लांट की क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।
5. स्टोन केशर के संचालन में जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण होने की संभावना है अतः स्टोन केशर के संचालन के संबंध में आवश्यक उपाय किये जायें।

B

A2

—

w

जाने, विस्थापन के लिए स्थल चयन में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत पूर्व से स्थापित रू केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/पल्पर्राईजर को आगामी 03 वर्षों तक अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने सेद्धान्तिक सहमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 764/VII-2014/28-ख/2013, दिनांक 23 अप्रैल, 2014 को अपास्त करते हुए आगामी 02 (दो) वर्षों अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(शकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1025 (1)/VII-1/2014/28-ख/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गोपन (मन्त्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए, की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्च करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आपलप जिलाधिकारी श्रीराल,

संख्या 1075/30-जी0 सी0/2.14-15 दि: 03-07-2014

अज्ञा से,
(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

- 1- समस्त उप जिलाधिकारी, श्रीराल,
- 2- उप निदेशक रगत, श्रीराल,

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या 108/VII-A-1/2021/10 स्टोन केशर/15
देहरादून: दिनांक: 27 जनवरी, 2021

: कार्यालय ज्ञाप :

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 636/VII-1/10-स्टोन केशर/2015, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा आवेदक श्री विजय कुमार निदेशक, महाबली स्टोन केशर प्रा0लि0 को ग्राम पापडी, पो0 पीरूमदारा, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 2.284 हैक्टेयर (5.64 एकड़) नाप भूमि में उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा नीति, 2011 के अन्तर्गत 200 टन प्रतिदिन क्षमता का स्टोन केशर स्थापना/संचालन हेतु कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन 05 (पाँच) वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा स्वीकृत की गयी। इस सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-2085/खनन/भूखनि0ई0/स्टो0के0नवी0/नैनीताल/2020-21, दिनांक 25 नवम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में श्री विजय कुमार निदेशक मै0 महाबली स्टोन केशर प्रा0लि0 के पक्ष में ग्राम पापडी, तहसील रामनगर जिला नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 2.284 है0 (5.64 एकड़) नाप भूमि में पूर्व से स्वीकृत स्टोन केशर प्लांट की क्षमता 223 टन प्रति घण्टा निर्धारित करते हुए भण्डारण अनुज्ञा सहित उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति 2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या (2) के प्रावधानानुसार दिनांक 01 अगस्त 2020 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 "स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तों" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 16 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-रवन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टोन केशर नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (15) एवं बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 1645/एम0एस0/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
3. नीति के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 (1) के अनुसार अवशेष शुल्क शासन द्वारा निर्गत नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना होगा। शासन द्वारा आदेश जारी होने के उपरान्त यदि प्लांट स्वामी के द्वारा अवशेष धनराशि 01 माह के अन्तर्गत जमा नहीं करायी जाती है तो प्लांट का ई-रवन्ना पोर्टल बन्द कर दिया जायेगा।
4. स्टोन केशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन केशर संचालक को क्रशड मैटेरियल (ग्रिट एव डस्ट) की मात्रा पर रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लांट/केशर प्लांटमें छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

5. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटाईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिर्काडिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार शासन को सूचित किया जायेगा।
6. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा तैयार माल पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क (₹ 1 प्रति कुंतल स्टोन क्रेशर हेतु एवं 25 पै0 प्रति कुंतल स्कीनिंग प्लांट हेतु) जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
8. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ड) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लांट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
9. आवेदक कम्पनी के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 2 (15) के अनुसार प्लांट में उपयोग किये जाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति खनन पट्टाधारक श्री मदन लाल, निवासी सुल्तानपुर, तहसील बाजपुर को स्वीकृत 26829 टन प्रति वर्ष उपखनिज के सापेक्ष 12780 टन, श्री रामकिशोर, निवासी सुल्तानपुर, जिला उधमसिंहनगर को स्वीकृत कुल 23859 टन प्रतिवर्ष उपखनिज के सापेक्ष कुल 12859 टन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग रामनगर को कुल स्वीकृत 11,24,283 टन प्रति वर्ष उपखनिज के सापेक्ष 1,50,000 टन, इस प्रकार कुल 1,75,639 टन कच्चे माल की आपूर्ति हेतु अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। ई-रवन्ना पोर्टल पर उक्त कुल अनुबन्धित उपखनिज की मात्रा को स्टोन क्रेशर भण्डारण की ई-रवन्ना पोर्टल आई0डी0 के साथ जोड़ा जायेगा। जिससे पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक उक्त अनुबन्धित उपखनिज किसी अन्य के लिए आपूर्ति/विक्रय न कर सके तथा क्रेशर स्वामी किसी अन्य से कच्चे माल की आपूर्ति ना ले सके। कच्चे माल की आपूर्ति हेतु उपखनिजों के अन्य स्रोत उपलब्ध कराये जाने की दशा में उक्तानुसार उनको भी ई-रवन्ना पोर्टल से जोड़ा जायेगा।
10. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 2 (16) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
11. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
12. आवेदक कम्पनी के द्वारा शेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में नीति के अध्याय-2 (15) के अनुसार रजिस्टर्ड अनुबन्ध/खनन पट्टा प्राप्त होने की दशा में ही क्रेशर प्लांट की भण्डारण अनुज्ञापति को अग्रतः बढ़ाया जायेगा अन्यथा ई-रवन्ना पोर्टल बन्द कर दिया जायेगा।

B

*2

A

W

Handwritten signature

13. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 906/VII-1/2020/158 ख-04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(एन.एस.डुगरियाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या 189 (1)/VII-A-1/21/10 स्टोन केशर/15, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तराखण्ड देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र दिनांक 25.11.2020 के सन्दर्भ में।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. श्री विजय कुमार निदेशक, महाबली स्टोन केशर प्रा०लि०, ग्राम पापडी, पोस्ट पीरूमदारा, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(दिनेश सिंह भण्डारी)
अनु सचिव।

①

12

13

14

15



③ अ र व प्र ह



(B)

म रु 92 ~~श्री~~ श्री



③

12

12

12

~~12~~

12



13

17

18

19

20




③

Am

Am

h

[Handwritten signature]



B

A2

W


[Handwritten signature]

संलग्न-66
141



शुभ
२५
२५
२५
२५

6



(B)

श्री

द्वारा

शु

अपगत श्री

सैलम-68
143



Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

Google
the crusher



GPS Map Camera

Bhawanipur Chhoi, Uttarakhand, India

83CQ+RQ4, Bhawanipur Chhoi, Uttarakhand 244715, India

Lat 29.32181°

Long 79.089599°

21/06/22 02:48 PM

संलग्न - 69
144



(B)

ह
सु
व
अप
ह



AS

[Handwritten signature]

er

[Handwritten signature]

B



Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awasth Vikas Colony, Haldwani (Nainital)


AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

- 1 Report No. AAQM/HLD/27/2022-23
- 2 Name of City & Address M/s Mahabali Stones Private Limited
Vill- Papdi, P.O- Peerumadara
Ramnagar, Distt-Nainital (Uttarakhand)
- 3 Date of Monitoring 21.06.2022
- 4 Sample Collected by Sh. Ayush Negi SA
Sh. Pravin Arya MA

OBSERVATION

Parameter	Monitoring Location	Measured Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Suspended Particulate Matter (SPM)	About 10 meter from crushing unit.	590.1	600


Scientific Assistant


Asstt. Scientific Officer


Regional Officer

①

ST

ST

ST





HEAD OFFICE
Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board
"Gauri Devi Prayavaran Bhawan"
46B, I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun

UEPPCB/HO/Con/M-195/2019/ 954

Date: 15-10-2019
REGD. POST

To,
M/s Mahabali Stone Pvt Ltd,
Khata No : 14, 15, 30,
Village-Papdi, Tehsil-Ramnagar,
Distt-Nainital.

Consolidated Consent to Operate and Authorization hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2)" of the "Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and Hazardous & Other Wastes Rules, 2016 respectively).

PCB ID - 20627	Inward ID - 238247
CCA (Fresh)	
Consent No. 39774/	Date : 15-03-2018

CCA is hereby granted to M/s Mahabali Stone Pvt Ltd located at Khata No : 14, 15, 30, Village-Papdi, Tehsil-Ramnagar, Distt-Nainital subject to the provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous & Other Wastes Rules, 2016 and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is granted for a period up to 31-03-2020 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment / Net Assets Values ₹ 7.26 Crs :-

S. No.	Last CTE or CCA		Present CCA (Fresh)	
	Product	Quantity (Per Month)	Product	Quantity (Per Month)
1	Stone Grits and Sand	5200MT	Stone Grits and Sand	5200MT

2. Specific Conditions under Water Act:-

- (i) The daily quantity of effluent discharge (KLD):-

	Last CTE or CCA	Present CCA (Fresh)
Trade Effluent	Nil	Nil
Sewage	Nil	Nil

- (ii) Trade Effluent Treatment and Disposal:Nil.....

- (iii) Sewage Treatment and Disposal: The applicant shall provide comprehensive Septic Tank & Soak Pit as is required with reference to influent quantity and quality.

3. Conditions under Air Act:-

- (i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards :

- (vii) The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the MoEF or CPCB/SPCB from time to time.
5. This CCA is valid for Crushing & Screening processes only.
6. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit:-**
- (i) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-10 under Hazardous & Other Wastes Rules, 2016 and Third Party Audit Report.
- (ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
- (iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous Rules & Other Wastes Rules, 2016 will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.
- 10.


Member Secretary

Copy to: - Regional Officer, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Haldwani for information and compliance of the same.


Chief Environment Officer

B

AT

SUC

W



S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1	DG Set (650KVA) x 1Nos	5	HSD	90Ltr./Hr	Natural Draft & Acoustic Enclosure	-
1	Suspended Particulate matter (SPM)			Not to exceed	600µg/M ³	

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

- (ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time: from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. Conditions under Hazardous & Other Wastes Rules-2016:-

- (i) Number of authorization and date of issue : -----
- (ii) The **Factory Manager** of M/s Mahabali Stone Pvt Ltd., Ramnagar, Distt-Nainital is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
- (iii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes :-

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	Schedule I - 5.1	0.100	Recyclable

- (iv) The authorization shall be in force for a period **up to 31-03-2020**.
- (v) The authorization is subject to the conditions stated below and the such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under **Environment (Protection) Act, 1986**.

Terms and conditions of authorization:-

- (i) The authorization shall comply with the provisions of the **Environment (Protection) Act, 1986**, and the rules made there under.
- (ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.
- (iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.
- (iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
- (v) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.
- (vi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.

B

h2

h2

h2

h2

Specific Conditions:

1. The applicant shall provide ISI mark water meter to each water supply source and shall regularly submit returns of water consumption in the prescribed form and pay the cess as specified under Section-3 of Cess Act.
2. The applicant shall submit audited balance sheet of the unit at the end of each financial year so that fee submitted by the applicant could be assessed.
3. The applicant shall provide ports in the chimney/stack and facilities such as ladder, platform etc. as per requirement for monitoring the air emissions and the same shall be open for inspection and use at all times by the Board's staff. The chimney/stack attached to various sources of emission shall be designated by numbers such as S-1, S-2 etc. and these shall be painted/ displayed to facilitate identification.
4. The industry shall ensure interlocking of air pollution control devices and production processes.
5. A Solid wastes generated from the industry has to be disposed in manner so that contamination of surface water bodies/ground water/soil etc. does not take place.
6. The industry shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
7. The applicant shall develop three rows of green belt on the premises with plant species as suggested by the **Central Pollution Control Board**.
8. The industry shall strictly adhere with the specific and general conditions issued with CCA order. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of **Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules** made thereunder.
9. The industry shall ensure all safety measures and shall undertake periodical assessment by the competent authority.
10. Unit shall ensure manifest system in **Form-10 of Hazardous & Other Wastes Rules, 2016** while disposing hazardous waste.
11. Hazardous waste should not be stored beyond a period of 90 days.
12. The industry situated nearby the River Ganga and its tributaries shall ensure the treatment facilities and disposal arrangement in such a way so that no waste water is discharged in water stream or water bodies.
13. The industry covered under **Environment Impact Assessment Notification, 2006** (as amended from time to time), shall strictly comply with the provisions of this Notification.
14. The unit shall strictly comply with the provisions of Water, Air & E (P) Acts and Rules/Notifications made thereunder.
15. The Unit shall strictly follow **Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant, Ready Mix Plant Anugya Nitti, 2016** promulgated by the State Government and shall obtained necessary permission from the competent authority with in stipulated time specified in **Anugya Policy-2016**.
16. This CCA valid for crushing of raw material (River Bed Materials) obtained from legitimate sources only.
17. The unit shall ensure proper installation and operation of pollution control measures as required in under the **Environment (Protection) Rules, 1986** so that ambient air quality not exceed prescribed limit at any time.
18. The unit shall not operate during night hours as defined under **Noise Rules-2000**.
19. The unit shall not increase the production capacity as given in this CCA without prior permission of the Board.

General Conditions:

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UEPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the **Board** bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the **Board**, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.

B

A

me

W

A

K